

Office of the Deputy Commissioner  
District Bilaspur (Himachal Pradesh)

FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Pankaj Rai, I.A.S., Deputy Commissioner, Bilaspur on 19-04-2022 at 2-30 P.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Sadar, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	3.39 hectare (2.16 Open area + 1.23 Notional area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Nog.
2.	0.08 hectare (Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Badhyat.
3.	0.85 hectare (0.03 Open Area +0.82 Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Bharathu.
4.	0.59 hectare (0.5 Open Area +0.09 Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Balhi Billa.
5.	0.39 hectare (0.29 Open Area +0.1 Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Bagharin.
6.	1.31 hectare (Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Jangal Jhaleda.
7.	0.01 hectare (Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Balhi Jhaleda.
8.	0.59 hectare (Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Beri.
9.	0.3 hectare	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Bhatar Uparli.
10.	0.91 hectare (Notional Area)	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Jangal Brans.
11.	2.41 hectare	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Khated.
12.	1.21 hectare	Construction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line area of Village Barmana.

In respect of Sr.9 to 12 the objections were raised by the Village Level Committee which were considered and rejected by Sub-Divisional Level Committee. Further the Distt. Level Committee observed that the proposal does not involves recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

1. (Muskan),  
Zila Parishad. (Member)

3. (Madan Kumar)  
Zila Parishad. (Member)

5. (Devi Ram)  
District Revenue Officer,  
Bilaspur, H.P. (Representative of Member Secretary)

2. (Prem Singh),  
Zila Parishad. (Member)

4. (Awanibhushan Rai) I.F.S.  
Divisional Forest Officer  
Distt. Bilaspur(H.P.)  
(Member)

6. (Pankaj Rai), I.A.S.  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
(Chairman)

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Bhatar Uparli, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.3 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure II ;
- (b) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above-

20342

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.91 hectare (Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Jangal Brans, Tehsil Sadar, District Bilaspur. H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.91 hectare (Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure II;
- (b) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20341

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.41 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Khated, Tehsil Sadar, District Bilaspur. H.P.**


**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.41 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure II ;
- (b) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20340

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.



FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.21 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Barmana, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.21 hectare** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure II ;
- (b) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20339

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.59 hectare (Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Beri, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**


**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.59 hectare (Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20338

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.01 hectare (Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Balhi Jhaleda, Tehsil Sadar, District Bilaspur. H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.01 hectare (Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20337

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.31 hectare (Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Jangal Jhaleda, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **1.31 hectare (Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above-

20336

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.39 hectare (0.29 Open Area +0.1 Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Bagharin, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**


**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.39 hectare (0.29 Open Area +0.1 Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20335

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.59 hectare (0.5 Open Area +0.09 Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Balhi Billa, Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.59 hectare (0.5 Open Area +0.09 Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20334

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-1  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated 2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.85 hectare (0.03 Open Area +0.82 Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Bharathu Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.85 hectare (0.03 Open Area +0.82 Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20333

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.08 hectare (Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Badhyat Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.08 hectare (Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20332

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

FORM-I  
(for linear projects)  
Government of Himachal Pradesh  
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated


2022

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05<sup>th</sup> February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.39 hectare (2.16 Open area+1.23 Notional Area)** of forest land proposed to be diverted in favour of **Railway Department for Constuction of Bhanupalli-Bilaspur-Beri New BG Railway Line** which falls in jurisdiction of **Village Nog Tehsil Sadar, District Bilaspur, H.P.**

**It is further certified that:**

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.39 hectare (2.16 Open area+1.23 Notional Area)** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.

  
**Pankaj Rai (I.A.S.)**  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.  
dated 21/04/2022

Endst No- as above- 20331

Copy to the Sr.DGM/Project Rail Vikas Nigam Limited First Floor, Rectuitment Board Building Railway colony, Near Chandigarh Railway Station Chandigarh—160002 for further necessary action

  
Deputy Commissioner,  
Distt. Bilaspur, H.P.

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022- 2944  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

From Bilaspur Dated 16-04-2022.

To Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject- Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.08 ha.(Notional Area), proposed for the construction of Bhanupali-Bilapsur- Beri new railway line Project in Village Badhyat Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 0.08 hectare(Notional Area). for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Badhyat was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 6/04/2022.

Endst. No.AA-

2945

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

## DISTRICT BILASPUR (HP).

### Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at **4.00 PM** at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Badhyat Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.08 hectare(Notional Area), was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Badhyat** area 0.08 hectare(Notional Area), is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: **08.04.2022**

  
SDO(Civil)cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Badhyat** area 0.08 hectare(Notional Area), related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

The following officers/members were present in the meeting:-

1. Sh. Subhash Gautam, HAS Chairman  
Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur
2. Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur Member Secretary
3. Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur Member
4. Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared. Member
5. Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO Member  
Office Sadar, District Bilaspur

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Badhyat Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.08 hectare (Notional Area) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

बैठक कार्यवाही वन अधिष्ठाता समिति ..... बध्मात ..... प्राय .....  
 ..... बध्मात ..... तारीख ..... राज ..... दिना ..... बिलासपुर  
 दि. 08.01.2024

आज दिनांक 28.1.2024 को वन अधिष्ठाता समिति प्राय बध्मात  
 श्री/श्रीमती सतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसकी विवरण-निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद नाम	प्राय	सहित
1	श्री सतीश कुमार	प्रधान	बध्मात	सतीश कुमार
2	श्री/श्रीमती <u>स/0 देवी</u>	सचिव	"	गौरहाजीर
3	श्रीमान <u>श/0 राम</u>	सदस्य	"	हरनाम सिंह
4	श्रीमान <u>श/0 सरजू</u>	"	"	मुकेश
5	श्रीमती <u>श/0 सुकेश</u>	"	"	मिना
6	श्रीमान <u>श/0 सतराम</u>	"	"	प्रमोद हाचुनी
7	श्रीमान <u>श/0 गौरहाजीर</u>	"	"	धनीराम
8	श्रीमती <u>श/0 देवी</u>	"	"	आशिका देवी
9	श्रीमती <u>श/0 कमला</u>	"	"	कमला देवी
10	श्रीमती <u>श/0 सुधा</u>	"	"	पिंकी
11	श्रीमान <u>श/0 रमेश</u>	"	"	Kaltanar

वन अधिष्ठाता समिति ने राज्य विभाग के पटवारी/अनुपालों श्री कुशीप तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री आशिका देवी के साथ भूमि क्षरण नमूना 136/1, 202/234 तथा 0:08 (National area) (हे०) निम्नके संदर्भ में मानुषी - बिलासपुर - खेरी रेलवे के लिए उपस्थित स्थान पर (विभाग का नाम) केंद्रीय सरकार / उत्तरी रेलवे में जाय है या क्षेत्र का निरिक्षण समितिलगत तौर पर किया व अन्य प्रायचीन विन प्रकरण तो की गई-

- उक्त भूमि पर नव-इ/तरीका पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के पास बताया।
- उक्त भूमि पर समिति ने मांगवासीयों से वन अधिष्ठाता अधिनियम 2006 के अनुसूचित क्षेत्रों वाले क्षेत्रों द्वारा जो कोई दस्ता समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
- उक्त भूमि पर पटवारी कुशीप या अन्य अनुपालों द्वारा किये गए निरिक्षण के ताल में न हुआ तथा लोगों को मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दस्ता इस भूमि पर नहीं है।

आत वेदक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्धृत) मानुषी - बिलासपुर - खेरी रेलवे लाइन पर स्थित बध्मात के अन्तर्गत उपस्थित प्रकरण के लिए वन भूमि देयी जाने या कोई अधिका नहीं है। चमल निमाठा के फर अधिनियम के तहत अधिनियम 2006 के अनुसूचित क्षेत्रों उपस्थित मांगवासीयों से सहायता प्राप्त की है। यह अनुपाल वन अधिनियम 2006 के अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम के अन्तर्गत उपस्थित मांगवासीयों से सहायता प्राप्त की है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत व स्वीकार है। उपस्थित निम्न नाम हैं सतीश कुमार, गौरहाजीर, कुशीप, Beab

प्रधान व वन अधिष्ठाता समिति  
 गाँव..... बध्मात  
 जिला: बिलासपुर (सि.ब.)

सचिव  
 वन अधिष्ठाता समिति

कर्मचारी

Beab

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार संस्था

वन क्षेत्र **बध्मात**

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक **28.1.22**

प्रस्ताव संख्या **2**

ग्राम सभा **बध्मात** को बैठक अथवा दिन **28.1.22** के बजे, स्थान **बध्मात** में श्री/श्रीमति **सतीश कुमार** के अध्यक्षता में की गई जिसने **बध्मात** गांव के अनुसूचित जनजाति के अन्य परंपरागत वन निवासे (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत **बध्मात** जंगल/वन क्षेत्र में (उद्देश्य) **टन्ल** के एक इन्फिग के लिए **बध्मात** जंगल/वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
	NIL		

तदनुसार यह काम इस दावे/इन दावों को निरस्त करने में इस ग्राम सभा की समिति को भंगित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति के प्राप्ति सूचना के अनुसार अधिकार अब दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान **बध्मात**  
दिनांक **28.1.22**

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन  
**सतीश कुमार**  
प्रधान  
वन अधिकार समिति  
गांव...**बध्मात**  
जिला: **बिलासपुर (हि.प्र.)**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा अरुमात

प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 28.1.22

प्रस्ताव संख्या 2

ग्राम सभा अरुमात की बैठक का दिनांक 28.1.22 को 11:00 बजे स्थान अरुमात में श्री/श्रीमती सतीश कुमार की अध्यक्षता में की गई जिसने ग्राम के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अरुमात जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें डाक्टर रेलवे विभाग द्वारा जंगल के मक उम्पिंग के लिए 0.08 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गादवारियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1	<del>NIL</del>		
2	<del>NIL</del>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	<del>NIL</del>
2	<del>NIL</del>

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार..... जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान अरुमात  
दिनांक 28.1.22

सतीश कुमार  
समिति अध्यक्ष  
गादवारी विभाग  
जिला, बिलासपुर (छ.प्र.)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों का नाम जिनमें इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम, 2006) अधिनियम, 2006

प्रतिलिपि प्रस्ताव  
स्थान **बध्वात**

प्रस्ताव संख्या **2**

दिनांक **28.1.22**

ग्राम सभा **बध्वात** में श्री/श्रीमति **स्त्रीशकुमार** (उपस्थित) के माध्यम से ग्राम सभा में पेश किया गया है।  
जिसमें **बध्वात** गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम, 2006) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत **बध्वात** जंगल/वन क्षेत्र में **जल** (उपस्थित) के एक इम्पिंग के लिए **0.08 (Aobnal)** हेक्टेयर भूमि के हस्तान्तरण की मजूरी प्रस्तावित है। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया - **Ma.**

क्रमिक	पात्र गाँववासी का नाम	व्यक्ति का पता	अधिकारी का ब्यारा
1			
2			
3	<b>NIL</b>		
4			

बैठक में इन अधिकार समिति **नेम** द्वारा **स्त्री** (उपस्थित) के लिए **स्त्री स्त्री** (विनायक) के पक्ष में दिया जाने अनारथी प्रमाण पत्र का **स्त्री** विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि **स्त्री** में भूमि खसरा नम्बर **बिनायक** संख्या **0.08** हेक्टेयर के **स्त्री** (उपस्थित) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम, 2006) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नामला लखित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनारथी प्रमाण पत्र जारी करेगी।

स्थान **बध्वात**  
दिनांक **28.1.22**  
प्रधान **स्त्रीशकुमार**  
वन अधिकार समिति, **स्त्री**  
गाँव **बध्वात**, **Genl.**  
जिला **विलासपुर (हि.प्र.)**

उपरिष्ठ वन अधिकार समिति गांव बध्मात  
तहसील - खर, जिला - बिलासपुर (हि.प्र.)

क्रं

नाम व पिता का नाम

जाति

हस्ताक्षर

सतीश कुमार

1. श्री रविशंकर कुमार ड० क्लीप सिंह

2. बलवीर सिंह ड० तुलसी

3. हरनाम सिंह ड० राम सिंह

4. मुकेश कुमार ड० सुरज प्रकाश

5. श्रीमती नशा देवी ड० मुकेश कुमार

6. सुंदर राम ड० संत राम

7. च्यती राम ड० रोहली राम

8. ज्योत्सिका देवी ड० च्यती राम

9. कमला देवी ड० सुख राम

10. पुष्पा देवी ड० शाशपाल

11. रत्न लाल ड० संत राम

हरनाम सिंह

मुकेश

निशा

च्यती राम

आशुतोष देवी

कमला देवी

Pushpa

Ratna

उपरिष्ठ हजर आगवा वन अधिकार समिति  
गांव बध्मात के समक्ष मानुषली बिलासपुर बरी  
न्यू बी.जी. रेलवे लाइन के अंतर्गत मलकीमत  
संस्कार की श्रेणी में यह रेलवे लाइन कमी  
मूफिंग टनल का निर्माण किया जाना  
आपास्त है मलकीमत संस्कार की श्रेणी  
में टनल के ऊपर फुट-पैथों पर किसी प्रकार  
का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्ताव-नं.-२

बैंक में उपरिष्ठ वन अधिकार समिति  
के सदस्यों ने मानुषली-बिलासपुर-बरी न्यू  
बी.जी. रेलवे लाइन के अंतर्गत सरकारी श्रेणी  
में रेलवे लाइन निर्माण की श्रेणी टनल का  
निर्माण हो रहा है - कक्षा-२, रकवा-०.०४  
है (Notified area)

उक्त श्रेणी का अपना केंद्रीय सरकार / 3000  
 नेहरू का वन आयोगों की हिस्से  
 आयोगों 2006 में आयोग सेवानिवृत्त  
 आयोगों को आयोगों आवश्यक मापदंड  
 एवं पैमानों की जांच है  
 परन्तु इन सिद्धि से पारित एवं स्वीकार है

सतीश कुमार  
 प्रधान  
 वन आयोग समिति  
 गाँव - बध्मात.

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (नॉ) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (नॉ) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा नं० 339 रकबा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्वे सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा नं० 1876/1751/1686/556 रकबा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्वे सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा नं० 339/393/391/5 रकबा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिंक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिंक रोड बनाने हेतु खसरा नं० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं०2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SDK-FRA 2022/2994/3008

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ—

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकबा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकबा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकबा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकबा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकबा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकबा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकबा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकबा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. सगस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2946

Bilaspur Dated 16-04-2022.

From

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

To

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject-

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area ), proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project in Village Nog Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area )for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Nog was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2947

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

**Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).**

The following officers/members were present in the meeting:-

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Sh. Subhash Gautam, HAS<br>Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur               | Chairman         |
| 2. | Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur                                  | Member Secretary |
| 3. | Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur                               | Member           |
| 4. | Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared.                                       | Member           |
| 5. | Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO<br>Office Sadar, District Bilaspur | Member           |

+  
At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Nog Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area ) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

**DISTRICT BILASPUR (HP).**

**Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at **4.00 PM** at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Nog Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area ) was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Nog** 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area) is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: **08.04.2022**

  
SDO(Civil) cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Nog 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area) related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

बैंक कार्यवाही वन अधिकार समिति.....नोग.....ग्राम.....  
 .....तहसील सादर.....जिला विलासपुर

दिनांक 11.8.21 को वन अधिकार समिति ग्राम नोग की बैठक अध्यक्ष श्री/श्रीमती देवराज की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद नाम	ग्राम	श्रेणी	हस्ताक्षर
1	श्री देवराज कुमार शर्मा	प्रधान	नोग	NSC	
2	श्री देवराज शर्मा श्री महेश	सचिव	"	"	<i>Devi</i>
3	श्री मुरारी राम शर्मा	सदस्य	"	"	<i>Devi</i>
4	श्री प्रकाश चन्द शर्मा	सदस्य	"	"	<i>Devi</i>
5	श्रीमती माया देवी पटेल	सदस्य	"	"	
6	श्री देवराज सिंह शर्मा	सदस्य	"	"	<i>Devi</i>
7	श्रीमती जय देवी पटेल	"	"	NSC	<i>Devi</i>
8	श्रीमती दुर्गा देवी शर्मा	"	"	SC	<i>Devi</i>
9	श्री संजीव शर्मा	"	"	NSC	<i>Devi</i>
10	श्रीमती स्वलोचना शर्मा	"	"	NSC	<i>Devi</i>

वन अधिकार समिति ने राज्य विभाग के पटवारी/कानूनी श्री आशीष कुमार तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री मानुषी विलासपुर को सबूत प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया।  
 1-23 (Notice) जिसके संदर्भ में मानुषी विलासपुर को सबूत प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया।  
 एवं (विभाग का नाम) रक्षक ने कहा है कि धीमा पर निर्धारण व्यक्तिगत तौर पर किया व अन्य छात्रों के नाम प्रकर से की गई:-

- उक्त भूमि का नक्शा/तस्वीर पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।
- उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सबूत मांगे तथा विरही प्रकर का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
- उक्त भूमि पर गद्दी गुजर या अन्य पुपन्तु समुदायों का विरही प्रकर का दावा समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने मानुषी विलासपुर को सबूत प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया।  
 उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से मानुषी विलासपुर के अन्तर्गत उपरोक्त प्रसन्न के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। मानुषी विलासपुर के एक डॉपिंग के त्रये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति या उपस्थित सरतों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी अद्य-युक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रसन्न सर्वसम्पत्ति से परित्यक्त व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रसन्न कार्यवाही के अनुसार है।

प्रधान Absent  
 वन अधिकार समिति  
 सचिव Devi  
 वन अधिकार समिति  
 गांव नोग  
 जिला विलासपुर (हि.प्र.)  
 पटवारी वृत्त UAB  
 वृत्त UAB  
Chimula Beab

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार तस्वीर  
ग्राम वन नाग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 11.8.21

प्रस्ताव संख्या 1  
ग्राम सभा नाग की बैठक आज दिनांक 11:47  
बजे, स्थान नाग में श्री/श्रीमति देवराज को अध्यक्षता में की गई  
जिसमें नाग गांव के अनुसूचित जजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नाग जंगल/वन क्षेत्र में  
(उद्देश्य) रूखावे लाइन / रतल के एक डम्पिंग के लिए 3.39 हेक्टर वन भूमि के उपयोग  
(1.23 + 2.16) की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की  
सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए, गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के  
साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित  
पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धारा
	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उपरान्त स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार नाग जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान नाग  
दिनांक 11.8.21

अधिकृत हस्ताक्षर  
ग्राम वन वन आयुक्त (नाग)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा नोग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक.....

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा नोग की बैठक आज दिनांक 11.8.21 को 11.45 बजे, स्थान नोग में श्री/श्रीमति दशरथ की अध्यक्षता में की गई जिसमें नोग गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नोग जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें उत्तरी रस्ता विभाग द्वारा रस्ता खंडन/रस्ता के मक डम्पिंग के लिए हैकटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	NIL		
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	NIL
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार नोग जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान नोग

दिनांक 11.8.21

अधिकृत हस्ताक्षर

ग्राम सभा वन अधिकार समिति

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006)

वन अधिकार सन्निधि  
ग्राम सभा नाग

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक 11.8.21

ग्राम सभा नाग को बैठक आज दिनांक को 11  
वजे, स्थान नाग में श्री/श्रीमति इशिता की अध्यक्षता में की गई

जिसमें नाग गोंव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, के अन्तर्गत नाग जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें रेलवे लाइन) के मक उम्पिंग के लिए 3.39 हेक्टायर वन भूमि के उपयोग की

मंजूरी प्रस्तावित है। बैठक ने निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

क्रमिक	पात्र गोंववासी का नाम	गोप्यता नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1			
2			
3			
4			

*NIL*

बैठक में वन अधिकार सन्निधि नाग द्वारा रेलवे (उद्देश्य) के लिए इशिता रेलवे (विभाग) के पत्र में दिखे गरी अनापति प्रमाण पत्र का उत्तर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व नाग में भूमि खसरा नम्बर 35 रकबा 2.16, 1.23 हेक्टायर का रेलवे (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, के अन्तर्गत कोई नामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान नाग  
दिनांक 11.8.21

Absent  
प्रधान,  
वन अधिकार सन्निधि

सचिव अक्षय  
वन अधिकार सन्निधि  
गांव नाग  
जिला बिलासपुर (छि.प्र.)

उपस्थित वन अधिकारी सागीत गांव - नाग, तहसील  
 खर जिला - विलासपुर हि. प्र.

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद	जाति	हस्ताक्षर
1.	श्री. रमेश कुमार S/o श्री. बंगाली राम	प्रधान		
2.	श्री. देवराज S/o श्री. महेंद्र	सचिव		
3.	श्री. मुंशी राम S/o श्री. सुंदर	सदस्य		
4.	श्री. प्रकाश चन्द S/o अर्जुन राठ	"		
5.	श्री. माते मध्या देवी पत्नी प्रेमलाल	"		
6.	श्री. सुपेन्द्र सिंह S/o बालक राम	"		
7.	श्री. माते लक्ष्मी देवी पत्नी राम लाल	"		
8.	दुर्गा देवी W/o श्री. कमल	"		
9.	श्री. सुजीव S/o श्री. लक्ष्मण	"		
10.	श्री. माते ललाचना W/o बाबू (म)	"		

उपरोक्त हाजर आग वन अधिकारी सागीत गांव - नाग के समक्ष मानुपल्ली - विलासपुर - खरी - न्यु. बी. जी. रेलवे लाइन के अन्तर्गत मेलकायत सरकार की मुक्ति में से रेलवे लाइन तथा मुक्तिगत टनल का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। मेलकायत सरकार की मुक्ति में टनल के ऊपर पेड़-चौड़ी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्ताव नं. - 2.

बैठक में उपस्थित वन अधिकारी सागीत के सदस्यों ने मानुपल्ली - विलासपुर - खरी - न्यु. बी. जी. रेलवे लाइन के अन्तर्गत सरकारी मुक्ति में से रेलवे लाइन निर्माण एवं तथा मुक्तिगत टनल निर्माण एवं रकवा - क्रिया 35  
 1.23 (Notionary) , 2.16 open. Total - 3.39 ₹

इका मूल का उपयोग केंद्रीय सरकार अथवा राज्य  
 को वग आधिकारों का मान्यता अधिनियम  
 1956 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारों को  
 आधारी क्रमवादी हेतु प्रेषित की जायी है।  
 प्रस्ताव सब सम्मति से पारित एवं स्वीकार है।

*[Signature]*  
 सायब  
 वग आधिकार एम्प्ली  
 (दि. 20)

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकबा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर गौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकबा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकबा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार-समिति द्वारा प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांघा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांघा तक लिक रोड बनाने हेतु खसरा न० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी के प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं०2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हे अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बघडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू वी.जी.रेलवे लाइन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकबा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकबा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकबा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकबा 0.01 ha, भराथू किता -6 रकबा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकबा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकबा 1.31 ha.(notional area), बघडी, किता -6 रकबा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर-में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. सनस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Date: - 16/4/2022.

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2948

From

Bilaspur Dated /6 -04-2022.

To

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur.(H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject-

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project in Village Balhi Bila Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 duly processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Balhi Bila was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P.)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2949

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P.)

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

The following officers/members were present in the meeting:-

1. Sh. Subhash Gautam, HAS Chairman  
Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur
2. Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur Member Secretary
3. Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur Member
4. Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared. Member
5. Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO Member  
Office Sadar, District Bilaspur

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Balhi Bila Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

## DISTRICT BILASPUR (HP).

### Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at 4.00 PM at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Balhi Bila Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.59 ha. (0.5 open area + 0.09 notional area), was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Balhi Bila** 0.59 ha. (0.5 open area + 0.09 notional area) is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: 08.04.2022

  
SDO(Civil)cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Balhi Bila 0.59 ha. (0.5 open area + 0.09 notional area) related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति..... बलही जिल्ला ..... ग्राम.....  
 .....तहसील..... सदर ..... जिला विलासपुर  
 हि०प्र०।

आज दिनांक १२-८-२१ को वन अधिकार समिति ग्राम बलही जिल्ला की बैठक अध्यक्ष श्री/श्रीमति रामधारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित रहस्य विवर दे:-

क्र०	नाम व पिता का नाम	पर नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	श्रीमति रामधारी पत्नी सुधाशम	पुष्पान	बलही जिल्ला	GEN.	रामधारी
2	रामदेई पत्नी सदाशम	सचिव	"	SC	Ramdeji
3	गीतादेवी पत्नी बृजलाल	सदस्य	"	"	गीतादेवी
4	व्यासादेवी पत्नी रामधारी	"	"	"	व्यासा देवी
5	सोमा देवी पत्नी नंदलाल	"	"	"	Soma Devi
6	श्री सुरा राम पुत्र रामधारी	"	"	"	सुरा राम
7	श्रीमति राजरानी पत्नी काशी राम	"	"	"	Raj Rani
8	श्री हेमराज पुत्र सुरा राम	"	"	SC	हेमराज
9	जगदीश शर्मा का रामदेई	"	"	Gen.	Absent
10	रामलाल पुत्र किरपूराम	"	"	Gen.	Absent

वन अधिकार समिति ने राज्य विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री निशित तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री नेरवा के साथ भूमि अंतरा नम्बर 1/1 रकबा 0.5 open 0.09 (न/ह) जिसके संदर्भ में मानुषी किलासपुर बलही न्यू डी.डी. (उद्दे-य) के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) उत्तरी रेलवे क्वार्टरमस्टर का नाम है कि पोस्ट पर निरीक्षण व्यक्तित्व तौर पर किया व अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

- उक्त भूमि का नक्शा/तस्वीर पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया।
- उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
- उक्त भूमि पर गददी गुजर या अन्य पुनस्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश न हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्दे-य) मानुषी किलासपुर बलही न्यू डी.डी. हेतु समझने उपरान्त सर्वसम्मति से रामधारी निर्णय लिया कि ग्राम बलही जिल्ला के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि विधे जाने पर कोई अपेक्षा नहीं है। रामधारी रामधारी के फर्क डीपिंग के लिये उपयोग में आने वाली इन भूमि की अनुमति वारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को अज्ञानी अव्य-यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुसार

प्रधान, रामधारी  
 वन अधिकार समिति  
 गांव..... बलही जिल्ला  
 जिला. विलासपुर (वि.प्र.)

सचिव, Ramdeji  
 वन अधिकार समिति  
 गांव.....  
 जिला. विलासपुर (वि.प्र.)

परिवार का सुरा राम

वनरक्षक Neerwa  
KARESH Kumar

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

बल्लू बिला

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 22.8.24

प्रस्ताव संख्या

1

ग्राम सभा

बल्लू बिला

को बैठक आज दिनांक

22.8.24

को 12

बजे, स्थान

बल्लू बिला

में श्री/श्रीमति

राजेश्वरी

की अध्यक्षता में की गई

जिसमें

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत

बल्लू बिला

जंगल/वन क्षेत्र में

(उद्देश्य)

बल्लू बिला

के मकड़िया के लिए

0.5 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग

की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का खोरा
	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-समूह स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बल्लू बिला जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

बल्लू बिला

दिनांक

22.8.24

प्रधान अधिकारी द्वारा प्रेषित किया  
वन अधिकार समिति  
गांव... बल्लू बिला  
जिला... बिनामपुर (हि.प्र.)

राजेश्वरी

10

## अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बल्लू बिला  
प्रतिलिपि प्रस्ताव  
दिनांक 22.8.21

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा बल्लू बिला की बैठक आज दिनांक 22.8.21 को 12 बजे, स्थान बल्लू बिला में श्री/श्रीमति राजपार की अध्यक्षता में की गई जिसमें बल्लू बिला गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बल्लू बिला जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें उत्तर रलध विभाग द्वारा बल्लू बिला के मक डम्पिंग के लिए हैक्टेंयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	NIL		
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को धारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	NIL
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बल्लू बिला जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बल्लू बिला  
दिनांक 22.8.21

प्रधान राजपार  
वन अधिकार समिति के सदस्य  
गांव...ग्राम-सभा...बल्लू बिला  
जिला...बिलासपुर (हि.प्र.)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

**बल्लियाँ**

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006)

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक

22.08.2024

प्रस्ताव संख्या

ग्राम सभा

**बल्लियाँ**

को बैठक आज दिनांक

को 12

बजे, स्थान

**बल्लियाँ**

में श्री/श्रीमति

**रामपानी**

की अध्यक्षता में की गई

जिसमें

1

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकारों की

मान्यता अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

**बल्लियाँ**

मण्डल/वन क्षेत्र में (जिसमें

**बल्लियाँ**

के मक डभिग के लिए

0.5 Open

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की

मंजूरी प्रस्तावित है। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

0-09 National

क्रम/क	पात्र गांववासी का नाम	पति का नाम	वन अधिकारों का ब्यौरा
1	NIL		
2			
3			
4			

बैठक में वन अधिकार समिति **बल्लियाँ** द्वारा **बल्लियाँ** (उद्देश्य) के लिए **बल्लियाँ** (विभाग) के पक्ष में दिखे गये अनापति प्रमाण पत्र का उचित विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि **बल्लियाँ** में भूमि खसरा नम्बर **बल्लियाँ** रकबा **0.5 Open area** (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कोई नामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान **बल्लियाँ**  
दिनांक 22.08.2024

अध्यक्ष **रामपानी**  
वन अधिकार समिति  
गांव **बल्लियाँ**  
जिला **बिलासपुर (छ.प्र.)**

सचिव **Ramdeo**  
वन अधिकार समिति  
गांव **बल्लियाँ**  
जिला **बिलासपुर (छ.प्र.)**

संस्थित वन अधिकार लागते गांव बलही किल्ला  
 तहसील - रावळ - जिला - विलासपुर (हि.प्र.)

क्र.नं.	नाम व पिता का नाम	पद	ग्राम	जमीने हस्तांतर
1.	श्री मल्लि रामप्यारी पत्नी कृष्ण	प्रधान	बलही-किला	Gen. रा. मप्यारी
2.	रामदेई पत्नी सदाराम	सचिव	"	Sc. Ramdal
3.	गीतादेवी पत्नी बृजलाल	रक्षक	"	" गीता देवी
4.	व्यासा देवी पत्नी श्याम सिंह	"	"	" व्यासा देवी
5.	होमा देवी पत्नी नंदलाल	"	"	" Soma Devi
6.	श्री सुरा राम पुत्र रामसरन	"	"	" सुरा राम
7.	राजरानी पत्नी कांशी राम	"	"	" Raj Rani
8.	श्री हेमराज पुत्र मुराराम	"	"	" Hemraj
9.	जगदीश शर्मा पुत्र रामसहाई	"	"	" Gen.
10.	रामलाल पुत्र किरपुराम	"	"	"

उपरोक्त हाजर आगदा वन अधिकार लागते गांव बलही-किला  
 के संगत मानुपली-विलासपुर-वेरी न्यू बी.डी. रेलवे लाईन  
 के अन्तर्गत मलकापत सरकार की मूफि में से रेलवे लाईन  
 तथा मूफिगत टनल का निर्माण किया जाना आपाईत है  
 मलकापत सरकार की मूफि में टनल के ऊपर पड-पाधा  
 पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पडगा।

प्रस्ताव नं.-1 उक्त मूफि का मानुपली-विलासपुर-वेरी न्यू  
 न्यू बी.डी. रेलवे लाईन के अन्तर्गत सरकार  
 मूफि में रेलवे लाईन निर्माण तथा मूफिगत टनल निर्माण हेतु  
 रकबा कितना - 11 0.5 Acre and 0.09 Notional Maclan  
 उक्त मूफि का उपयोग केंद्रीय सरकार / उत्तरी रेलवे  
 के वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत  
 संबंधित अधिकारों के आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित  
 की जाती है।  
 प्रस्ताव सर्व सम्मत से पारित एवं स्वीकार है।

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0339/393 /391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड बनाने हेतु खसरा न० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं०2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि वारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर-में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. सगस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil). RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2450

Bilaspur Dated 16/04-2022.

From

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

To

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject-

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.01 ha. proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project in Village Balhi Jhaleda Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 29-03-2022 in which case for the diversion of forest land 0.01 ha. for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Balhi Jhaleda was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated /16/04/2022.

Endst. No.AA-

2951

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

**Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).**

The following officers/members were present in the meeting:-

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Sh. Subhash Gautam, HAS<br>Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur               | Chairman         |
| 2. | Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur                                  | Member Secretary |
| 3. | Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur                               | Member           |
| 4. | Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared.                                       | Member           |
| 5. | Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO<br>Office Sadar, District Bilaspur | Member           |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Balhi Jhaleda Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.01 ha. under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

## DISTRICT BILASPUR (HP).

### Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at **4.00 PM** at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Balhi Jhaleda, Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.01 ha. was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Balhi Jhaleda** 0.01 ha. is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: **08.04.2022**

  
SDO(Civil) cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Balhi Jhaleda 0.01 ha. related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

वैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति.....  
 ग्राम.....  
 तहसील.....  
 जिला.....  
 विलासपुर

**बलही झुलडा**

आज दिनांक **24.11.2017** को वन अधिकार समिति ग्राम **बलही झुलडा** की बैठक आयोजित की अगुवाई में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	श्री रामेश्वर कुमार	प्रधान	बलही झुलडा		रमेश कुमार
2	सीता राम शर्मा	सचिव	"		Sitaram
3	श्रीमती देवी	सदस्य	"		परीक्षा देवी
4	श्रीमती निशा देवी	"	"		निशा देवी
5	श्रीमती रेणुका कुमारी	"	"		रेणुका कुमारी
6	डामरजीत शर्मा	"	"		Amrjot
7	बृज लाल शर्मा	"	"		Brij Lal 9817173554
8					
9					
10					

**निवेदन**

वन अधिकार समिति ने राज्य विभाग के पटवारी/कानूनी श्री **निवेदन** तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री **नरेश कुमार** के साथ हुई छतस नम्बर **37/1, 48/1** खस **0.01** (हेक्ट.व) के लिए अनापत्ते प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) **बलही झुलडा** विलासपुर जिला **शु. की. डी.** में प्राप्त है क प्रकृष्ट पर निरीक्षण गणितगत तौर पर किया व अन्य छानवीन विम्व प्रकृष्ट से की गई-

- उक्त भूमि का नम्बर/तारीख पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के साथ बनाया।
  - उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा निरा प्रकृष्ट का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
  - उक्त भूमि पर गदरी कुन्जर या अन्य पुष्पनु सन्तुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के साथ में न हुआ तथा समिति जानती है कि किसी सन्तुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।
- अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने **उक्त वन भूमि विलासपुर जिला शु. की. डी. हे. स. 37/1, 48/1** हे. स. 0.01 उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम **बलही झुलडा** के अन्तर्गत उपरोक्त प्रकृष्ट के लिए वन भूमि देवे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। **रमेश कुमार** के एक डीपिंग के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि को अनुपत्ति चारे उपस्थित सदस्यों ने सम्मति व्यक्त की है। यह अनुपत्ति वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रकृष्ट सर्वसम्मति से पारित व लीकर है। प्रकृष्ट किया जाता है कि उपर प्रारण कार्यवाही के अनुसरण है।

ग्राम न. **रमेश कुमार**  
 वन अधिकार समिति  
 वन अधिकार समिति  
 जिला: विलासपुर (वि.प्र.)

सचिव, **Sitaram**  
 वन अधिकार समिति  
 वन अधिकार समिति  
 जिला: विलासपुर (वि.प्र.)  
 141 8304146

पटवारी **रमेश**

वनरक्षक  
**रमेश कुमार**  
**RAMESH KUMAR**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बल्ही झरना

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24.12.2024

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा बल्ही झरना की बैठक आज दिनांक 24.12.2024 को 12

बजे, स्थान बल्ही झरना में श्री/श्रीमति रमेश गुप्ता की अध्यक्षता में की गई

जिसमें बल्ही झरना गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बल्ही झरना जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें

अल्प रकम विभाग द्वारा सड़क सड़क के मक डम्पिंग

के लिए हैक्टेंयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर

चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा

के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वारी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धारा
1	NIL		
2	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	NIL
2	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बल्ही झरना जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बल्ही झरना

दिनांक 24.12.24

प्रधान  
रमेश गुप्ता वन अधिकार समिति,  
 गांव...  
 अधिकृत हस्ताक्षर  
 ग्राम सभा बल्ही झरना

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

वन क्षेत्र बलही इलाका

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 24.12.2024

प्रस्ताव संख्या 1  
 ग्राम सभा बलही इलाका को 12 को 12  
 बजे स्थान बलही इलाका में श्री/श्रीमती रमेश कुमार को अग्रभूता में की गई  
 जिसने बलही इलाका गांव के अनुसूचित जनजाति के अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
 अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बलही इलाका जंगल/वन क्षेत्र में  
 (उद्देश्य) संरक्षित जंगल के नक ड्रॉइंग के लिए 100 हेक्टर वन भूमि के उपयोग  
 की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की  
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के  
 साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित  
 पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है। इसे ग्राम सभा स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस प्रक्रिया की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बलही इलाका जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बलही इलाका  
 दिनांक 24.12.24

रमेश कुमार  
 प्रधान अधिकार समिति  
 वन अधिकार समिति  
 गांव. बलही इलाका  
 जिला. बिनासपुर (वि.प्र.)

बैंक कार्यवाही ग्राम सभा

**बलही झेडा**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता अधिनियम, 2006)

दिनांक **बलही झेडा**

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक 24.12.2024

पृ. 12

बैंक, स्थान **बलही झेडा** श्री/श्रीमति **बलही झेडा** को बैंकक अन्तर्गत **बलही झेडा** के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम, 2006) के अन्तर्गत **बलही झेडा** जंगल/वन क्षेत्र में (विभाग) **बलही झेडा** के मक डभिग के लिए **0.01** हेक्टर भूमि के उपयोग की

मजूरी प्रस्तावित है। बैंकक ने निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

क्रमिक	पात्र गोंववासी का नाम	सदस्य का नाम	अधिकारी का जोरा
1			
2			
3			
4			

बैंकक में वन अधिकार समिति **बलही झेडा** द्वारा **संयुक्त एसक** (उद्देश्य) के लिए **उत्तर रेलवे** (विभाग) के पक्ष में दिनांक 24.12.2024 पर अनापति प्रमाण पत्र का अपर निर्यात विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि **बलही झेडा** भूमि खसरा नम्बर **1-2** रकबा **0.01** हेक्टर पर **संयुक्त एसक** (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कोई नामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान **बलही झेडा**  
दिनांक **24.12.24**

प्रधान **बलही झेडा**  
सदस्य **बलही झेडा**  
वन अधिकारी समिति **बलही झेडा**  
गांव **बलही झेडा**  
जिला **बिलासपुर (छ.प्र.)**

उपरोक्त हजार आमदा वन अधिकार समिति गांव -  
बल्ही - झेलड़ा, तह - सदर जिला - बिलासपुर (छ.प्र.)

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री विमेश कुमार	प्रधान	विमेश कुमार
2.	श्री सीता राम शर्मा	साथी	Sitaram श्री शर्मा
3.	श्रीमति परिशा देवी	सदस्य	परिशा शर्मा
4.	श्रीमति निशा देवी	"	Nisha Devi
5.	श्रीमति रेणुका कुमारी	"	रेणुका कुमारी
6.	अमरजीत शर्मा	"	Amarjeet
7.	बृज लाल शर्मा	"	Brij Lal

उपरोक्त हजार आमदा वन अधिकार समिति गांव  
बल्ही - झेलड़ा के समस्त मानुषानी - बिलासपुर - बरी  
न्यू बी.जी. रेलवे लाइन के अर्न्तगत मलकीपत  
सरकार की भूमि में से रेलवे लाइन तथा भूमिगत  
टनल का निर्माण किया जाना अपेक्षित है।

मलकीपत सरकार की भूमि में टनल के ऊपर  
पड़-पौधों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं  
पड़गा।

प्रस्ताव नं. 1 बैंक में उपस्थित वन अधिकार समिति के सदस्यों ने मादुपली तहसीलासुर-वरी यू.बी.डी. रेलवे लाइन के अन्तर्गत सरकारी भूमि में रेलवे लाइन निर्माण तथा भूमिगत टनल निर्माण हेतु रकम 0.01 (National Area)

उक्त भूमि का उपयोग केंद्रीय सरकार / उत्तर रेलवे को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम

2006 के अन्तर्गत संबंधित अधिकारों का आपसी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

प्रस्ताव से संबंधित से पारित एवं स्वीकार है।

रमेश कुमार

प्रधान (FRL)

रमेश कुमार

गांव - कलही-इसड़ा

तहसील - खदर

जिला - बिलासपुर

(दि. 1/1/20) 1/1/20

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0339/393 /391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई।

4. मौजा धौण कोठी से पांघा तक लिंक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदर के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांघा तक लिंक रोड बनाने हेतु खसरा नं० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी के लिए प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदर में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं० 2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21 (हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3 (हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated :- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, वैरी, जंगल-झलेडा एवं बघडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-वैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), वैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बघडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में घरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2956

From Bilaspur Dated 16-04-2022.

To Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur,HP.

Subject- Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 1.31 ha.(notional area) proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project in Village Jangal Jhaleda Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 1.31 ha.(notional area) for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Jangal Jhaleda was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated/6 04/2022.

Endst. No.AA-

2957

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

**Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).**

The following officers/members were present in the meeting:-

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Sh. Subhash Gautam, HAS<br>Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur               | Chairman         |
| 2. | Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur                                  | Member Secretary |
| 3. | Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer , Bilaspur                              | Member           |
| 4. | Smt Sapna , Panchayat Member R/o Tared.                                      | Member           |
| 5. | Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO<br>Office Sadar, District Bilaspur | Member           |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Jangal Jhaleda Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 1.31 ha.(notional area) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

**DISTRICT BILASPUR (HP).**

**Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.**

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at **4.00 PM** at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Jangal Jhaleda Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 1.31 ha.(notional area) was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Jangal Jhaleda** 1.31 ha.(notional area) is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: **08.04.2022**

  
SDO(Civil) cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Jangal Jhaleda 1.31 ha.(notional area) related to Sub-Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

देशक कार्यवाही वन अधिष्ठाता समिति... जंगल-इलेडा ... जंगल इलेडा  
 तहसील... सर ... जिला विलासपुर

दिनांक... 29.12.2014 को वन अधिष्ठाता समिति द्वारा जंगल-इलेडा ...  
 श्री/श्रीमति... प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विभागीय निरीक्षण/सर्वेक्षण सत्यता जांच में

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद नाम	ग्राम	पते	संख्या
1	श्री प्रवीण कुमार	पुश्चान	जंगल-इलेडा		Primap Rosh Lal
2	श्री रुमलाल	सोचिव	"		
3	श्री राम कृष्ण	स्वयंसेवक	"		Rambhawal गिकारा राम
4	श्री मिक्का राम	-do-	"		सीताराम
5	श्री सीता राम	-do-	"		कमलेश कुमार
6	श्री कमलेश कुमार	-do-	"		अजित कुमार
7	श्री अनिल कुमार	-do-	"		
8	श्रीमति कमला देवी	-do-	"		Kamla Devi
9	श्रीमति सीमा देवी	-do-	"		Seema Devi
10	श्रीमति कांता देवी	-do-	"		Kanta Devi
11	श्रीमति शकुन्ता देवी	-do-	"		शकुन्ता देवी

वन अधिष्ठाता समिति ने राज्य विभाग के पर्यवेक्षक/समूहवेक्षक श्री निषिदल तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री नरेश कुमार के साथ भूमि जांच में वि.सं. 1-3/ (Notified) (हो) जिसके संदर्भ में मन्सुली-विलासपुर वरी गू की वी (सर्वे-व) के लिए अनामत प्रस्ताव पर (विभाग का नाम) कृषि सरकार उत्तरी रेलवे तैयार है या संबंधित पर निरीक्षण/सर्वेक्षण

- उक्त भूमि पर वन-ग/तटीय पर्यवेक्षक तथा वन रक्षक ने समिति के साथ चर्चा।
  - उक्त भूमि पर समिति ने संबंधितों से वन अधिष्ठाता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दाये वाले तत्वों को अनामत प्रस्ताव या कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
  - उक्त भूमि पर गहरी गूजर या अन्य पुनःपुनः समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के साथ चर्चा में हुआ तथा समिति को बताया कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।
- अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्धृत) मन्सुली-विलासपुर वरी के अनामत प्रस्ताव पर विचार वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। जंगल-इलेडा के वन अधिष्ठाता पर्यवेक्षक द्वारा विचार वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह अनुमति वन अधिष्ठाता की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बंधित अधिनियमों को अनामत आवेदन-पत्रों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तावित विभाग द्वारा है कि उक्त प्रस्ताव कार्यवाही के अन्तर्गत है।

प्रधान Primap  
 वन अधिष्ठाता समिति  
 गांव... ...  
 जिला, विलासपुर (हि.प्र.)

सचिव Rosh Lal  
 वन अधिष्ठाता समिति  
 गांव... ...  
 जिला, विलासपुर (हि.प्र.)

कार्यालय ...  
 वन अधिष्ठाता समिति  
 गांव... ...  
 जिला, विलासपुर (हि.प्र.)

कार्यालय ...  
 वन अधिष्ठाता समिति  
 गांव... ...  
 जिला, विलासपुर (हि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की प्राप्ति) अधिनियम, 2006

जंगल क्षेत्रों  
 जंगल क्षेत्रों

प्रतिनिधि प्रस्ताव

दिनांक 29.12.2024

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा जंगल क्षेत्रों के इलाक अंतर्गत 1.93 बजे स्थान जंगल क्षेत्रों में श्री/श्रीमति पद्मिनी कुमारी के अध्यक्षता में की गई जिसने जंगल क्षेत्रों गांव के अनुसूचित जनजाति की अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (उद्देश्य) वन के एक इम्पिय के लिए 1.31 हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा के वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर वर्षों की गई वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस गांव सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र नाम जसी के नाम	खेत का नाम	वन अधिकार का स्थान
	NIL		

तदनुसार यह वन सभा इस दावे/इन दावों को पारित करती है। इसे वन सभा स्तर की समिति को पंक्ति करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया।

क्रमांक	पात्र नाम/वसी के नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस प्राप्ति की वन अधिकार समिति के प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल क्षेत्रों वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जंगल क्षेत्रों  
 दिनांक 29.12.24

जंगल क्षेत्रों  
 वन अधिकार समिति  
 अध्यक्ष पद्मिनी कुमारी  
 वन अधिकार समिति

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

ग्राम सभा जंगल झेलडा

प्रतिलिपि प्रमाण

दिनांक 29.12.2024

प्रस्ताव संख्या

ग्राम सभा जंगल झेलडा की बैठक आज दिनांक को 19.12 बजे, स्थान जंगल झेलडा में श्री/श्रीमति पवित्र कुमारी की अध्यक्षता में की गई जिसमें जंगल झेलडा ग्राम के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें उत्तरी रिलेव विभाग द्वारा शुक्तिगत वन के मक डम्पिंग के लिए 1.31 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग को मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का प्रकार
1	<del>NIL</del>		
2			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-राज्य स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	<del>NIL</del>
2	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल झेलडा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान जंगल झेलडा  
दिनांक 29.12.2024

Pranav  
प्राधान  
अधिकृत हस्तक्षेप अधिकार समिति,  
ग्राम सभा जंगल झेलडा  
वन जिला: चित्तौड़पुर (रि.क.)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों का नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा  
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिکار) अधिनियम, 2006

**जंगल इलेक्ट्रा**

दिनांक **जंगल इलेक्ट्रा**

प्रतिलिपि प्रस्ताव

29.12.2024.

प्रस्ताव संख्या

दिनांक

ग्राम सभा

**जंगल इलेक्ट्रा**

पृष्ठ संख्या **1/93**

हजे, स्थान **जंगल इलेक्ट्रा** श्री/श्रीमति **पवीन कुमार**  
जिसमें **जंगल इलेक्ट्रा** गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत **इलेक्ट्रा** जंगल/वन क्षेत्र में **इलेक्ट्रा** ( **इलेक्ट्रा** ) के मक इपिंग के लिए **इलेक्ट्रा** क्षेत्र में **इलेक्ट्रा** की मजूरी प्रस्तावित है। बैठक ने निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

क्रमिक	पात्र गौववासी का नाम	सदस्य का पता	सदस्य का पता
1			
2			
3			
4			

बैठक में वन अधिकार समिति **जंगल इलेक्ट्रा** द्वारा **इलेक्ट्रा** (इलेक्ट्रा) के लिए **अली इलेक्ट्रा** (इलेक्ट्रा) के पक्ष में दिवस के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए **इलेक्ट्रा** विधायक किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि **इलेक्ट्रा** गाँव के **इलेक्ट्रा** भूमि खसरा नम्बर **कान-6** संख्या **1-31** के लिए **इलेक्ट्रा** (इलेक्ट्रा) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नामला लक्षित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेगी।

स्थान **जंगल इलेक्ट्रा**  
दिनांक **29.12.24**

प्रधान **Bunmar**  
वन अधिकार समिति,  
गाँव **इलेक्ट्रा**,  
जिला. बिलासपुर (छि.प्र.)

सचिव **इलेक्ट्रा**  
वन अधिकार समिति,  
गाँव **इलेक्ट्रा**,  
जिला. बिलासपुर (छि.प्र.)

आज दिनांक 28-01-2022 को वन अधिकार शाखा  
वांग जंगल बालेडा की बैठक वन अधिकार शाखा  
के प्रधान श्री पूर्ण कुमार की अध्यक्षता में सुबह  
10:30 बजे निम्न कर्मचारियों व शाखा पदाधिकारियों  
को आमंत्रित किया जो इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1)	श्री पूर्ण कुमार	प्रधान	Rumar
2)	श्री रूपलाल	साथी	Ruplal
3)	श्री राम कृष्ण	सदस्य	Ramkrishna
4)	श्री अनन्त राम	"	Anant Ram
5)	श्री सीताराम	"	Seeta Ram
6)	श्री कमलेश कुमार	"	Kamlesh Kumar
7)	श्री अनिल कुमार	"	Anil Kumar
8)	श्री मती कमला देवी	"	Kamla Devi
9)	श्री मती सीमा देवी	"	Seema Devi
10)	श्री मती कान्ता देवी	"	Kanta Devi
11)	श्री मती शकुन्ता देवी	"	Shakuntala Devi

इसके अलावा वन अधिकार शाखा वांग  
जंगल बालेडा के साथ मानुपल्ली-बिलासपुर-कैरी  
न्यू बी.जी. रेलवे लाइन के अंतर्गत मलकापुत्र  
सरकार की भूमि में से सुशुद्ध टनल का निर्माण  
किमाजाना उपस्थित है मलकापुत्र सरकार की भूमि  
में टनल के ऊपर पेड़-पौधों पर किसी प्रकार का  
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्ताव नं. 1

बैठक में उपस्थित वन अधिकार शाखा के  
सदस्यों ने मानुपल्ली-बिलासपुर-कैरी न्यू बी.जी.  
रेलवे लाइन के अंतर्गत सरकारी भूमि में  
सुशुद्ध टनल निर्माण हेतु रकबा - कता-6  
रमावा - 1.31 (National area)

उक्त शां का उपमा केंद्रीय स्तर पर उच्च स्तर  
 का वर अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2016  
 के अन्तर्गत संबन्धित अधिकारी को आगामी  
 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।  
 प्रस्तावित सर्व समिति से पारित एवं स्वीकार है।

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांथा तक लिंक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांथा तक लिंक रोड बनाने हेतु खसरा नं० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी के बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं०2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हे अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बघडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-वैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकबा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकबा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकबा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकबा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकबा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकबा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकबा 1.31 ha.(notional area), बघडी, किता -6 रकबा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

BLS-SDK-FRA-2022-3009/2019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil). RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2952

From

Bilaspur Dated 16-04-2022.

To

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Subject-

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.85 ha.(0.03 open area +0.82 notional area) proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project in Village Bharthu, Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 0.85 ha.(0.03 open area +0.82 notional area) for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Bharthu was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA


Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2953

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

**Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).**

The following officers/members were present in the meeting:-

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Sh. Subhash Gautam, HAS   | Chairman         |
|    | Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur                                       |                  |
| 2. | Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur                               | Member Secretary |
| 3. | Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur                            | Member           |
| 4. | Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared.                                    | Member           |
| 5. | Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO Office Sadar, District Bilaspur | Member           |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Bharthu Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.85 ha. (0.03 open area + 0.82 notional area) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

## DISTRICT BILASPUR (HP).

### Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at 4.00 PM at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Bharathu Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.85 ha.(0.03 open area +0.82 notional area) was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Bharathu** 0.85 ha.(0.03 open area +0.82 notional area) is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: **08.04.2022**

  
SDO(Civil) cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Bharathu 0.85 ha.(0.03 open area +0.82 notional area) related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति..... मराथू ग्राम..... मराथू  
 तहसील..... सादर जिला विलासपुर

दि० प्र०। आज दिनांक 11.11.2024 को वन अधिकार समिति ग्राम..... मराथू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे।  
 को/सचिव..... साकणू राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे।

क्र०	नाम व पितृ का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1	श्री साकणू राम	प्रधान	मराथू		<u>[Signature]</u>
2	श्री संत राम	सचिव	"		<u>[Signature]</u>
3	श्री बाबू राम	सदस्य	"		<u>[Signature]</u>
4	श्रीमति कौशल्या	"	"		<u>[Signature]</u>
5	श्रीमति रामकली	"	"		<u>[Signature]</u>
6	श्री सुंदर राम	"	"		<u>[Signature]</u>
7	श्रीमति गीरा देवी	"	"		<u>[Signature]</u>
8	श्री शान्त चंदल	सचिव	"		<u>[Signature]</u>
9					
10					

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री निखिल तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री नरेश कुमार के साथ भूमि खतरा नशी क्रमांक-6 तहसील मराथू तहसील मराथू (हो) जिसके संदर्भ में साकणू राम विलासपुर मराथू की मराथू (उद्दे-य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) अर्थात् देवदे / कुट्टीय सखार ने चाल है कि भीक पर निर्दिष्ट व्यक्तिगत और पर किये व अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

- उक्त भूमि का नक्शा/कतीया पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के हाथ बनाया।
- उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा विरती प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
- उक्त भूमि पर गददी गुजर या अन्य धुपन्तु तनुदयों का किसी प्रकार का दावा समिति के हाथ में न हुआ तथा समिति मानती है कि किसी तनुदय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्दे-य) साकणू राम विलासपुर मराथू हेतु समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम मराथू के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। निखिल/साकणू के एक अधिनियम के लिये जसोम में जाने वाली वन भूमि की अनुमति को उपरिष्ठ सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आशानी आश-यक कार्यान्वयन हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव कार्यवाही के अनुसार है।

प्र. नं. साकणू राम  
 वन अधिकार समिति मराथू  
 गांव मराथू, ग्राम पंचायत कुडो,  
 तहसील सादर, जिला विलासपुर (हि०प्र०)

पटवारी,  
Dejay वृत्त

वनरक्षक,  
NARESH kumar

Open-0.03  
 Nohim-0.82  
 Hae.

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

भरायू

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006)

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा भरायू

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या |

दिनांक 11.11.2021

ग्राम सभा भरायू के बैठक आयोजित दिनांक को 11

बजे, स्थान भरायू में श्री/श्रीमति राजू (म) के अध्यक्षता में की गई

जिसमें भरायू गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी इन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, के अन्तर्गत भरायू जंगल/वन क्षेत्र में जिनका एनएल/रेलवे (अर्थात् लाइव) के मक इन्फिण के लिए 0.030open हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया— 0.82 (National area)

क्रमिक	पात्र गाँववासी का नाम	गाँव वन क्षेत्र	इन अधिकारों का ब्यौरा
1			
2			
3			
4			

बैठक में वन अधिकार समिति भरायू द्वारा रेलवे लाइन (उद्देश्य) के लिए इन्टर रेलवे (विभाग) के पक्ष में दिखाने वाले अन्तर्गत प्रमाण पत्र का उत्तर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व भरायू में भूमि खसरा नम्बर कत-8 का open-0.03 हेक्टेयर का रेलवे (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि वन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का कोई नामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान भरायू  
दिनांक 11.11.2021

प्रधान / सचिव [Signature]  
 वन अधिकार समिति भरायू  
 प्रधान गाँव भरायू, ग्राम पंचायत कुडी,  
 वन अधिकार विभाग जिला विलासपुर (दिप्रो)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा मराथ

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 11.11.2024

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा मराथ की बैठक आज दिनांक 11.11.2024 को 11 बजे, स्थान मराथ में श्री/श्रीमति राजेश्वर राव की अध्यक्षता में की गई जिसमें मराथ गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मराथ जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें इतरी रेलवे विभाग द्वारा रेलवे/जंगल के मक डम्पिंग के लिए हैक्टेंडर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया-

क्रमांक	पात्र ग्राम वारी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धारा
1	NIL		
2	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	NIL
2	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार मराथ जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान मराथ  
दिनांक 11.11.2024

अधिकृत/सचिव  
ग्राम सभा मराथ  
गांव मन्सूर, ग्राम पिचायत कुड्डे,  
जिला विलासपुर (हि०प्र०)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिनसे इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम वन भराथु

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 11-11-2024

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा भराथु को वृत्त आज दिनांक 11.11.2024 को 11.11.2024 बजे स्थान भराथु में श्री/श्रीमति राजेश्वरी देवी को अध्यक्षता में की गई जिसमें भराथु गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भराथु जंगल/वन क्षेत्र में (उद्देश्य) 2.5 हे. व 1.5 हे. के एक इपिंग के लिए 0.030 हे. व 0.82 हे. विस्तृत वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए, गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का खीरा
	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को फरिस्त करती है। इसे ग्राम सभा स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस प्रक्रिया की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार भराथु जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान भराथु  
दिनांक 11.11.2024

प्रधान/सचिव [Signature]  
वन अधिकार समिति भराथु  
गांव भराथु, ग्राम पंचायत कुंडी,  
तहसील रादर, जिला किलासपुर (द्विप्रो)

आज दिनांक 11.11.2024 को वन अधिकारी साहित  
 हाजर आमदा गाव - मराथु - राह.सम. जिला-विलासपुर  
 (लिफ्ट)

क्र.	नाम	पथ	हस्ताक्षर
1.	श्री साऊठू राम	पुव्यान	
2.	श्री संत राम	सायव	
3.	श्री बाबू राम	सदस्य	बाबू राम
4.	श्रीमते कौशल्या	"	कौशल्या देवी
5.	श्रीमते रातकाल	"	रामकली
6.	श्री सुंदर राम	"	
7.	श्रीमते मीरा देवी	"	मीरा देवी

उपरोक्त हाजर आमदा वन अधिकारी साहित गाव - मराथु  
 के समक्ष मातृपल्ली - विलासपुर - वरी न्यू वी.जी. रेलवे  
 लाइन के अन्तर्गत मलकीयत सरकार की मुक्ति में छे  
 रेलवे लाइन तथा सूर्यगत टनल का निर्माण किया  
 जाना उपरोक्त है मलकीयत सरकार की मुक्ति में  
 टनल के ऊपर फंड पैसे पर किसी प्रकार का कोई  
 प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्ताव नं. - 2 बैंक में उपरोक्त वन अधिकारी साहित के  
 सदस्यों ने मातृपल्ली - विलासपुर - वरी न्यू  
 वी.जी. रेलवे लाइन के अन्तर्गत सरकार की मुक्ति में  
 रेलवे लाइन निर्माण तथा सूर्यगत टनल निर्माण हेतु  
 रकमा - 0.82 (National area) 0.03 Open Hoilage.

उक्त भूखण्ड का उपभाग नैदीय प्रकार / उत्तरी रेलवे को  
उन अधिकारों की मांगती अधिनियम 1986 के अंतर्गत  
संबंधित अधिकारों को (अपनी कार्यवाही हेतु प्राप्त की  
जाती है) प्रस्ताव संप्रदाय से पारित एवं स्वीकार  
किया

3/8

2

12

का 2

र

1/1

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलारापुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्वे सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्वे सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई।

4. मौजा धौण कोठी से पांघा तक लिंक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांघा तक लिंक रोड बनाने हेतु खसरा नं० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकबा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं० 2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस कित्ता 3 रकबा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड कित्ता -25 रकबा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा कित्ता -5 रकबा 1.21 (हेक्टेयर) व भटेड-उपरली कित्ता 3 रकबा 0.3 (हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित व वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बघडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha, भराथू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बघडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2958

From Bilaspur Dated 16-04-2022.

To Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject- Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project in Village Bagharin Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area)for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Bagharin was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2959

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

The following officers/members were present in the meeting:-

1. Sh. Subhash Gautam, HAS Chairman  
Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur
2. Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur Member Secretary
3. Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur Member
4. Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared. Member
5. Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO Member  
Office Sadar, District Bilaspur

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Bagharin Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

## DISTRICT BILASPUR (HP).

Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at 4.00 PM at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Bagharin Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Bagharin 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: **08.04.2022**

  
SDO(Civil) cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Bagharin 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति..... बघड़ी ..... ग्राम बघड़ी  
 ..... तहसील सदर ..... जिला विलासपुर  
 हि.प्र.01

✓ आज दिनांक 27.10.2021 को वन अधिकार समिति ग्राम बघड़ी की बैठक अध्यक्ष श्री/श्रीमति सुंदर राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्र.0	नाम व पिता का नाम	पद नाम	ग्राम	जोड़ी	हस्ताक्षर
1	श्री सुंदर राम श/श्री <u>अशोक</u>	प्रधान	<u>बघड़ी</u>		<u>Ram</u>
2	श्री चर्चनार श/सुंदर सिंह रायचौध		<u>बघड़ी</u>		<u>Phormin Singh</u>
3	श्री एम सिंह श/गहन सिंह सधस्य		"		<u>S. Singh</u>
4	श्रीमति सराज कुमारी श/ राजकुमार	"	"		
5	सुरेश श/ पुनर्लाल	"	"		<u>Ram Lal</u>
6	हंसलाल श/ नरेश राम	"	"		
7	हंसराज श/ श्री जीराम	"	"		<u>Mans Raj B.</u>
8	देवीराम श/ चर्चनाराम	"	"		<u>Devi Ram</u>
9	श्रीमति सराज कुमारी श/ राजकुमार	"	"		<u>Sarraj Kumari</u>
10	श्रीमति कारी नारायण श/ नरपत	"	"		<u>करी नारायण</u>

11. अफना सिंह श/ श्री रत्न सिंह

वन अधिकार समिति ने राज्य विभाग के पर्यवेक्षक/सहायक श्री निष्किल तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री नरेश कुमार के साथ भूमि क्षरण गश्त..... तबका 0.39

(0.24 Open 0.1 No. 1000)

(हे.0) जिसके संदर्भ में मानपल्ली - विलासपुर - बेरी - मुबी जी सिंगे (उदरे.म) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) उदरी रेलवे / केंद्रीय सरकार ने प्राप्त है जो गौस पर निरीक्षण जलितगत तौर पर किया व अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

- उक्त भूमि का नक्शा/तलीका पर्यवेक्षक तथा वन रक्षक ने समिति के साथ बनाया।
- उक्त भूमि पर समिति ने गांधीवाहियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे गाने तब कितनी प्रश्न का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
- उक्त भूमि पर गद्दी गुजर या अन्य पुपन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के साथ पैन न हुआ जब समिति कागती है कि कितनी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उदरे.म) मानपल्ली - विलासपुर - बेरी - मुबी जी सिंगे हेतु समुदाय उपरान्त सर्वसम्पत्ति से निर्णय किया कि ग्राम बघड़ी के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि देने पर कोई आपत्ति नहीं है। रेलवे लाइन एक क्षेत्र के शिपे उपयोग में जाने वाली वन भूमि को अनुकूलि धारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी अक्त-पत्र कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्पत्ति से धारित व स्वीकार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव कार्यवाही के अनुसार है।

ग्राम, Ram अधिकारी, Phormin Singh  
 वन अधिकार समिति, वन अधिकार समिति, पर्यवेक्षक वृत्त, बघड़ी  
 गांव... बघड़ी ..... जिला, विलासपुर (हि.प्र.)  
 जिला, विलासपुर (हि.प्र.)  
 27.10.2021  
 वनरक्षक, Abhishek  
Abhishek Kumar

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बघडी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27.10.2024

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा बघडी की बैठक आज दिनांक 27.10.24 को 11 बजे स्थान बघडी में श्री/श्रीमति सुंदर राव शोशी अर्जुन की अध्यक्षता में की गई जिसमें बघडी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बघडी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें उत्तरी रेलवे के फ्री प्रोविजन्स द्वारा कावुपली मिलासपुर केरी रेलवे लाइन के मक डम्पिंग के लिए 0.39 (0.29 + 0.1) हेक्टर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम वारी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.	<del>NIL</del>		
2.	<del>NIL</del>		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	<del>NIL</del>
2.	<del>NIL</del>

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बघडी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बघडी

दिनांक 27.10.2024

अधिकृत हस्ताक्षर कर

ग्रामवासी वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति,

बघडी  
जिला बिलासपुर (छि.प्र.)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम नाम बघडी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 27.10.2024

प्रस्ताव संख्या 1  
ग्राम सभा बघडी को घटक आज दिनांक 27.10.2024 को 11 बजे, स्थान बघडी में श्री/श्रीमति सुदर्शन श. अडुन की अध्यक्षता में की गई जिसमें बघडी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बघडी जंगल/वन क्षेत्र में (उद्देश्य) रूलेव लाइन / टनल के नक ड्रिंग के लिए 10.39 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का खीरा
	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को फांरित करती है। इसे उपरान्त स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बघडी  
दिनांक 27.10.2024

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन

अधीनस्थ हस्ताक्षर करें  
ग्राम सभा बघडी का  
प्रधान वन अधिकार समिति  
गांव बघडी  
जिला बिलासपुर (डि.प्र.)

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

बघडी

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा बघडी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 1

दिनांक

ग्राम सभा

बघडी

को बैठक आयोजित

27.10.2024 को 11

बजे, स्थान

बघडी

में श्री/श्रीमति

सुदर्शन S/o अर्जुन

की अध्यक्षता में की गई

जिसमें बघडी गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बघडी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसे मानुपली-विलासपुर-केरी

यू.बी.डी. रेलवे लाइन

) के तक डफिंग के लिए

0.39

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया--

(0-29 + 0.1 Hac)

क्रमिक	पात्र गौवदासी का नाम	गौवदासी का पता	वन अधिकारों का ब्यौरा
1			
2			
3			
4			

बैठक में वन अधिकार समिति बघडी द्वारा रेलवे लाइन (उद्देश्य) के लिए उत्तरी रेलवे/केंद्रीय सरकार (विभाग) को पक्ष में दिख गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि बघडी में भूमि खसरा नम्बर रकवा 0.39 हेक्टेयर को रेलवे लाइन (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गाँव अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत कोई नामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान बघडी  
दिनांक 27.10.2024

प्रधान,  
ग्राम सभा अधिकार समिति  
वन अधिकार समिति,  
गाँव बघडी  
जिला, विलासपुर (हि.प्र.)

सचिव,  
वन अधिकार समिति  
गाँव बघडी  
जिला, विलासपुर (हि.प्र.)

आज दिनांक 27-10-21 को शतस्र गांव बल्डी के हनुमन्त व बन्धु महाशिवपुरी जो इस समिति के प्रधान श्री सुन्दर राम की अध्यक्षता में वृक की गई। इस वृक निम्न कार्यवाही सम्मेलन में लाई गई।

प्रस्ताव नं० 1  
 केंद्रीय रेलवे विभाग ने हनुमन्ती आरी रेलवे से वैरी विचारणु की लाइन का काम शुरू करने में उस पर गांव पंचायत मिन्वलीनगर के शतस्र गांव वृकी वृक हुई है। इस रेलवे विभाग के अंतर्गत न्यूनिक है इस काम काप करण पर वक समिति बल्डी का सौदे एकराज नक्ष है।

नं० 1 श्री सुन्दर राम S/O श्री अर्जुन

*(Signature)*

2. श्री धर्मवीर सिंह S/O श्री सुंदर सिंह
3. श्री प्यार सिंह S/O श्री महंत राम
4. श्रीमती सरोज कुमारी W/O श्री राजकुमार
5. श्री सुरेन्द्र सिंह S/O श्री चुनीलाल
6. श्रीमती कैरा देवी W/O श्री रूपलाल
7. श्री मृगी कमलेश ठाकुर W/O श्री रामसिंह
8. श्री ~~...~~ रामलाल S/O नरराज राम
9. श्री रूपलाल S/O श्री सीटू राम
10. श्री मन्जीत सिंह S/O श्री वंशी राम
11. श्री कुलदीप सिंह S/O श्री हरीमन्
12. श्रीमती सुमिता देवी W/O श्री प्रकाश चन्द
13. श्रीमती प्रीति देवी W/O श्री जगनलाल
14. श्री हंसराज S/O श्री जैदू राम
15. श्री देवीराम S/O श्री धनी राम
16. श्री उमेश सिंह S/O श्री रत्न सिंह

*(Signature)*  
 श्रीमती सिंह

*(Signature)*  
 श्री रा देवी  
 Ram Lal

*(Signature)*  
 Sumita Devi

*(Signature)*  
 Hansraj D.

*(Signature)*  
 Delli Ram

*(Signature)*  
 Ansh

मलकापत सरकार की सुधि पर टनल के अग्र पर - पीछे पर किसी प्रकार का कोई युभाव नहीं पड़ेगा।

रेलवे लाइन एवं सुधिगत टनल रुकवा - 0.39 (0.29 open area

0.1 national area ha.) उक्त सुधि का उपयोग केंद्रीय एरिया।  
 उत्तर रेलवे को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के

अन्तर्गत संशोधित आधिकारों का अंतिम आवेदन  
कामकाही के प्रेषित की जाती है।  
प्रस्ताव सं संसदीय से पारित एवं स्वाम्य है।

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे गहाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड बनाने हेतु खसरा न० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं० 2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21 (हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3 (हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम संभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated :- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ—

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकबा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकबा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकबा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकबा 0.01 ha, भराथू किता -6 रकबा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकबा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकबा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकबा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated: - 16/4/2022.

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2954

From

Bilaspur Dated 16-03-2022.

To

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Subject-

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.59 ha.(notional area) proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project in Village Beri, Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 08-04-2022 in which case for the diversion of forest land 0.59 ha.(notional area) for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Beri was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2953

Copy is forwarded to Sr. Site Engineer, RVNL, Bilaspur for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

**Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).**

The following officers/members were present in the meeting:-

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1. | Sh. Subhash Gautam, HAS<br>Sub-Divisional Magistrate, Bilaspur               | Chairman         |
| 2. | Smt. Oshin Sharma Tehsildar Sadar, Bilaspur                                  | Member Secretary |
| 3. | Sh. K.K. Sharma Forest Range Officer, Bilaspur                               | Member           |
| 4. | Smt Sapna, Panchayat Member R/o Tared.                                       | Member           |
| 5. | Sh. Vishwa Nath, Panchayat Inspector, BDO<br>Office Sadar, District Bilaspur | Member           |

At the outset, the Chairman welcomed all the participants in the meeting. The Sub-Division Level Forest right Committee was apprised that the case for diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of Village Beri Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.59 ha.(notional area) under scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 have been received from the Forest Right Committees of Sub Division Sadar, District Bilaspur HP.

The case contained all the requisite certificates and proceedings, hence the committee recommended the said case for admission to District Level Committee.

The meeting ended with the vote of thanks to the Chair and members.

  
Sub-Division Magistrate-cum-Chairman,  
Sub-Division Level Committee,  
Sub-Division, Bilaspur, (HP).

## DISTRICT BILASPUR (HP).

### Proceeding of the meeting of Sub-Divisional Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Divisional level Committee of **Bilaspur** Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship/Chairpersonship of Sh. Subhash Gautam, SDO (Civil), **Bilaspur** on date 08.04.2022 at 4.00 PM at **Bilaspur** (Place) where in Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line Area of village Beri Tehsil Sadar, District Bilaspur, which case for the diversion of forest land 0.59 ha.(notional area) was discussed to consider the same for the recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions found that no any claim was received and the case regarding issuance of FRA certificate as per the Recommendation of FRA committees of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village **Beri** 0.59 ha.(notional area) is recommended for admission to the District Level Committee.

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Claim of the following applicants were not found in order and hence rejected:-

Sr. No	Name of Applicant	Name of Forest	Detail of Forest Right
/	/	/	/

Place: **Bilaspur**

Date: 08.04.2022

  
SDO (Civil) cum Chairman/Chairperson,  
Sub-Division Level Committee,  
Bilaspur, Sub-Division.

Diversion of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri New BG Rail Line, village Beri 0.59 ha.(notional area) related to Sub Division Sadar, Distt. Bilaspur (HP).

वैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति..... श्री राजादेवा ..... ग्राम.....  
श्री ..... तहसील..... रथर ..... जिला विलासपुर  
 दि०/२०२०।

आज दिनांक 14-11-2021 को वन अधिष्ठाता श्रीमती प्रम. श्री राजादेवा की बैठक अध्यक्ष  
 श्री/श्रीमती म.पान सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पद नाम	ग्राम	जति	हस्ताक्षर
1	श्री म.पान सिंह S/O श्री राजादेवा	प्रधान	श्री राजादेवा	सामान्य	[Signature]
2	श्री राजीव सिंह S/O श्री सुन्दर सिंह	सदस्य	"	"	[Signature]
3	श्री ब.देव सिंह S/O श्री राजादेवा	सदस्य	"	"	[Signature]
4	श्री नन्द लाल S/O श्री राजादेवा	"	"	"	[Signature]
5	श्री कमल सिंह S/O श्री लालका	"	"	"	[Signature]
6	श्री अमर सिंह S/O श्री पद्मराज	"	"	"	[Signature]
7	श्री राजादेवा S/O श्री राजादेवा	"	"	"	[Signature]
8	श्री श्रीमती निर्मला S/O श्री राजादेवा	"	"	मजदूरी	[Signature]
9	श्री रोशन लाल S/O श्री राजादेवा	"	"	सामान्य	[Signature]
10	श्री श्रीमती तुला देवी S/O श्री राजादेवा	"	"	"	[Signature]
11	श्री श्रीमती शिला देवी S/O श्री राजादेवा	"	"	"	[Signature]

वन अधिष्ठाता समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कनूवणों श्री दीप चन्द तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री अमर सिंह के साथ भूमि सत्यापन कार्य दिनांक 13 तारीख 0.59 (National) area के लिए अनापत्ति प्रमाण (Ho) निम्नलिखित संदर्भ में उदरती बल्लव / के.डी.प. सुन्दर ने मांग है कि क्षेत्र पर निरीक्षण व्यक्तित्व पर (विभाग का नाम) उदरती बल्लव / के.डी.प. सुन्दर

- उक्त भूमि का नक्शा/तस्वीर पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के मांग वनाया।
- उक्त भूमि पर तपित ने संबंधितों से वन अधिष्ठाता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा निरीक्षण प्रथम का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
- उक्त भूमि पर गहरी गुन्जर या अन्य पुनवुत्पन्न समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के मांग है। न हुआ तथा समिति चाहती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (अ.दे.प.) श्री राजादेवा को अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। श्री राजादेवा के एक डीपिंग के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति जारी उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिष्ठाता की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी अगस्त-सितम्बर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रस्तावित किया जा रहा है कि उपर्युक्त कार्यवाही के अनुसार

प्रधान [Signature] सचिव [Signature] वन अधिष्ठाता [Signature] हेतु सचिव को  
 श्रीमती [Signature] वन अधिष्ठाता समिति [Signature] के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई  
 आपत्ति नहीं है। [Signature] के एक डीपिंग के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति जारी उपस्थित सदस्यों ने  
 सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिष्ठाता की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी अगस्त-सितम्बर कार्यवाही हेतु  
 प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रस्तावित किया जा रहा है कि उपर्युक्त कार्यवाही के अनुसार

प्रधान [Signature] सचिव [Signature] वन अधिष्ठाता [Signature] हेतु सचिव को  
 श्रीमती [Signature] वन अधिष्ठाता समिति [Signature] के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई  
 आपत्ति नहीं है। [Signature] के एक डीपिंग के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति जारी उपस्थित सदस्यों ने  
 सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिष्ठाता की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी अगस्त-सितम्बर कार्यवाही हेतु  
 प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रस्तावित किया जा रहा है कि उपर्युक्त कार्यवाही के अनुसार

प्रधान [Signature] सचिव [Signature] वन अधिष्ठाता [Signature] हेतु सचिव को  
 श्रीमती [Signature] वन अधिष्ठाता समिति [Signature] के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई  
 आपत्ति नहीं है। [Signature] के एक डीपिंग के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति जारी उपस्थित सदस्यों ने  
 सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिष्ठाता की मान्यता अधिनियम-2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी अगस्त-सितम्बर कार्यवाही हेतु  
 प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है। प्रस्तावित किया जा रहा है कि उपर्युक्त कार्यवाही के अनुसार

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006)

*वेरी*

ग्राम सभा

स्थान

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

दिनांक 14.11.21

ग्राम सभा *वेरी राजादिमा* को बैठक आज दिनांक 14.11.21 को 11 बजे स्थान *वेरी* में श्री/श्रीमति *राजग सिंह* द्वारा प्रस्तावित किया गया जिसमें *वेरी* गाँव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत *वेरी* जंगल/वन क्षेत्र में (जिनका *वेरी* क्षेत्र के *वेरी* के मक इन्फिग के लिए 0.59 (National) है) का भूमि के हस्तान्तरण की

मंजूरी प्रस्तावित है। बैठक ने निम्न सदस्यों ने भाग लिया--

क्रमोंक	पात्र गाँववासी का नाम	पौत्र पद नाम	वन अधिकारों का प्रकार
1			
2			
3			
4			

बैठक में *वेरी* द्वारा *वेरी* (उद्देश्य) के लिए *वेरी* (विनाग) के पक्ष में दिने नये अनापति प्रमाण पत्र *वेरी* विचार शिपर्स में किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि *वेरी* में भूमि खसरा नम्बर *वेरी* रकबा 0.59 (National) *वेरी* (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गाँव अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कोई नामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान *वेरी*  
दिनांक 14.11.21

*वेरी*  
प्रधान, वन अधिकार समिति  
गाँव *वेरी*  
जिला. बिलासपुर (छि.प्र.)

*वेरी*  
अतिथि वन अधिकार समिति  
वन अधिकार *वेरी*  
जिला. बिलासपुर (छि.प्र.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा बरी

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 14.11.21

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम सभा बरी राजपिमां की बैठक आज दिनांक 14.11.21 को 11.30 बजे, स्थान बरी में श्री/श्रीमति गजरा सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें बरी गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बरी जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें 2029 रविवे विभाग द्वारा रखव/लव के एक डम्पिंग के लिए 0.59 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्राम बारी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का धारा
1	NIL		
2	NIL		

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1	NIL
2	NIL

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बरी जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बरी

दिनांक 14.11.21

सचिव  
वन अधिकार समिति  
गांव बरी

अधिकृत हस्तक्षेपकृतमिलानपुर (छि.प्र.)  
ग्राम सभा पुष्पान्त वन अधिकार समिति

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्रोजेक्ट /कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम वन बैरी राजादिमा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

दिनांक 14.11.21

प्रस्ताव संख्या 1

ग्राम वन बैरी राजादिमा को बैठक आज दिनांक 14.11.21 को ii  
 बजे, स्थान बैरी में श्री/श्रीमति Prasan Singh के अध्यक्षता में की गई  
 जिसमें बैरी गांव के अनुसूचित जनजाति के अन्य परम्परागत वन निवासी (वन  
 अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बैरी जंगल/वन क्षेत्र में  
 (उद्देश्य) बैरी के एक डमिया के लिए 0.59 हेक्टर वन भूमि के उपयोग  
 की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की  
 सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के  
 साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित  
 पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का खीसा
NIL			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को खारिज करती है। इसे ग्राम सभा स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
NIL	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस प्रक्रिया की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार  
 अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान बैरी

दिनांक 14.11.21

जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन

Prasan Singh

अध्यक्ष वन अधिकार समिति

श्री Prasan Singh

आज दिनांक 14-11-2021 को बनापिकाट समिति वैद्य खादिमों  
तण सदर जिला विलामपुर हित्र की बैठक समिति  
अध्यक्ष श्री बजान सिंह की अध्यक्षता में हुई। जिसमें  
निम्न विषय पर चर्चा हुई।

I अनापति प्रमाण पत्र देने हेतु रेलवे विभाग को देना हेतु।  
बैठक में चर्चा की गई कि रेलवे विभाग की रेलवे  
लार्डन व डीपिंग के लिए भूमि पर विस्तृत चर्चा की गई।  
बनापिकाट समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी श्री दीप  
चन्द तथा वन रक्षक नरेश कुमार के साथ भूमि खसत  
नं० क्रमा - 3. खसत 0.59. (National area) है जिसके  
संदर्भ में

उद्देश्य के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग के नाम)  
ने चाहा है कि भूमि पर

निरीक्षण व्यक्तियों तौर पर किया गया व अन्य दानवीन निम्न  
प्रकार के भूदान

→ उक्त भूमि का संकलन/तरीका पटवारी तथा वन रक्षक ने  
समिति के समक्ष बनाया

→ उक्त भूमि पर समिति ने गोवर्धन सिंह व बनापिकाट अधिनियम  
2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति  
को प्राप्त नहीं हुआ।

→ उक्त भूमि पर गार्दी गुज्जर या अन्य पुंगु समुदायों का  
किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पैदा न हुआ तथा  
समिति जानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा भूमि  
पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने उद्देश्य  
को समझने के उपरान्त

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि प्राण वैद्य खादिमों के  
अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई  
आपत्ति नहीं है। के अन्तर्गत के लिए

उपरोक्त में आने वाली वन भूमि की अनुमति वारे  
उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति व्यक्त की है। यह अनुमति वन  
अधिकारों की मान्यता अधिनियम - 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित

अधिकारियों को आजादी मानव्यक कार्यवाही के लिए प्रेरित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है इस बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

	नाम व पिता का नाम	पद	ग्राम	जाती	हस्ताक्षर
1.	श्री भजान सिंह S10 स्व. श्री रामदत्त	प्रधान	गुरी	सामान्य	MS
2.	श्री राजीव सिंह S10 स्व. श्री सुन्दर सिंह	सचिव	हजारा	h	Rohit
3.	श्री महेंद्र सिंह S10 स्व. श्री गंगा राम	सदस्य	h	h	MS
4.	श्री नन्द लाल S10 स्व. श्री प्रेमचक्र सिंह	h	h	h	MS
5.	श्री मन्मथ सिंह S10 स्व. श्री लाल मन	h	h	h	Kshamla
6.	श्री जगत सिंह S10 स्व. श्री पद्म राम	h	h	h	A Singh
7.	श्री प्यार सिंह S10 श्री गजान सिंह	h	h	h	MS
8.	श्री मती विमला W10 श्री रोशन लाल	h	h	अनुजाती	Nisamla Devi
9.	श्री रोशन लाल S10 स्व. श्री शंकर सिंह	h	h	सामान्य	Rohit
10.	श्री मती तृप्ता देवी W10 श्री महेंद्र सिंह	h	h	h	MS
11.	श्री मती शोला देवी W10 स्व. श्री निरु रण	h	h	h	शीला

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांथा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांथा तक लिक रोड बनाने हेतु खसरा नं० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं०2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हे अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, गराधू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-वैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha, गराधू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated: - 16/4/2022.

BLS-SBK-FRA-2022-3009/3019

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

OFFICE OF SUB DIVISIONAL OFFICER (C), -cum- CHAIRMAN,  
FOREST RIGHT COMMITTEE, SADAR SUB DIVISION, DISTRICT  
BILASPUR.

No. BLS.SDM.FRC.2022- 1372-77

Dated: 4<sup>th</sup> March, 2022.

**NOTICE:**

Whereas, forest rights of forest dwelling scheduled tribes other traditional forest dwellers, recognition & vesting of forest rights in forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers and recognition of, and vesting of forest rights in forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers have been detailed respectively in Section 3,4 and 6 of "The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006.

Whereas as per rule 4 of "The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Rules, 2007, it is the function of Gram Sabha to:

"a) initiate the process of determining the nature and extent of forest rights, receive and hear the claims relating thereto";

b) "prepare a list of claimants of forest rights and maintain a register containing such details of claimants and their claims."

c) "pass a resolution on claims on forest rights after giving reasonable opportunity to interested persons and authorities concerned and forward the same to Sub Divisional Level Forest Rights Committee under "The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006."

Whereas, procedure for filing determination and verification of claims by the Gram Sabha and the role of forest rights committee has also been defined under Rule 11 of the aforesaid rules and such claims were supposed to be made within a period of 3 months.

Whereas, process for verifying claims by forest Rights Committee, process of recognition of Rights, Process of recognition of community rights has been defined and detailed in Rule 12, 12-A & 12-B of aforesaid rules and evidence required for determination of forest rights has been detailed in Rule 13 of aforesaid rules. In addition to that, procedure and manner regarding claims and Petitions to Sub Divisional Level Forest Rights Committee are defined in Rule 14 of aforesaid rules.

Whereas, as per the provisions contained in above Act such claims have been filed, recognized and no petition is submitted to Divisional Level Forest Rights Committee against the resolution of Gram Sa.

Whereas, the Block Development Officer, Sadar & Executive Officer Municipal Council, Bilaspur vide letter No. 4155 dated 04.03.2022 and letter No... MCB/Forest Right Act/2021-1884 dated 13.08.2021 respectively have informed that neither claims on forest rights have been received by any of the Forest Right Committee's or Gram Sabhas nor are pending for recognition or decision.

Whereas, it has come to the notice through Rail Vikas Nigam Ltd. that No Objection Certificate for establishment of Bhanupalli Bilaspur-Berri, new broad gauge railway line is not being issued by the Forest Right Committees of village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhater Uperli.

Whereas the project being linear project, the same is of national importance and as per clarification contained in Govt. of India, Ministry of Empowerment and Forests (FC Division) letter dated 5<sup>th</sup> February, 2013 regarding diversion of forest land for non-forest purposes, "a resolution of the Gram Sabha of the area, based on full and prior information of the project and a public hearing, endorsing that the project is in the interest of the people living on the forest land, use of which is proposed to be diverted for non forest purposes may not be required for the projects like construction of roads, canals, laying of pipelines/optical fibres and transmission lines etc. where linear diversion of use of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of Primitive Tribal Groups (PTG) and Pre-Agricultural Communities (PAC) are being affected." Further, Ministry of Tribal Affairs agrees with the recommendation of said Committee that resolution of the Gram Sabha may not be required in cases of projects like transmission lines where linear diversion of forest land in several villages are involved, unless recognized rights of PTG/PAC are being affected.

In view of above, the General Public is hereby informed that claim or petition (if any) filed for recognition of forest rights are pending for disposal (individual or community), the same be informed in the office of Sub Divisional Officer(C) -cum-Chairman, Sub Divisional Level Forest Right Committee, Sadar, Bilaspur within 10 days from the issue of this notice, failing which it will be assumed that no such claims exist and matter will be proceeded ex-parte.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum-  
Chairman, Sub Divisional Forest  
Rights Committee

Act an  
mitted b  
m Sa

copy forwarded to:-

1. Deputy Commissioner, Bilaspur HP.
2. Jt. General Manager, RVNL, Chandigarh.
3. Block Development Officer, Sadar, Bilaspur.
4. The Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur HP
5. Pradhan, Forest Rights committee village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperli, Tehsil Sadar, District Bilaspur HP.
6. Pradhan/Secretary, Gram Panchayat Barmana & Kuddi, Tehsil Sadar, District Bilaspur HP with 2 spare copies to paste on the notice board for the information of general public.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum-  
Chairman, Sub Divisional Forest  
Rights Committee, Sadar, Bilaspur HP

Man  
09-03-2022  
10/2  
8104  
04-03-2022

04.03.2022 AT 4.30 PM UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SUB  
DIVISIONAL OFFICER (C), -cum- CHAIRMAN, SUB DIVISIONAL  
FOREST RIGHTS COMMITTEE, SADAR, DISTRICT BILASPUR.

The following were present:-

1. Smt. Sunita Thakur, Pradhan, FRC, Village Khater.
2. Smt. Puja Devi, Vill. Bhatar Uperli, Pradhan, GP Barmana.
3. Sh. Surender Kumar, Ward Member, GP Barmana.
4. Sh. Rakesh Kumar, Ward Member, GP Barmana.
5. Sh. Rattan Lal, Ward Member, G.P. Barmana
6. Sh. Viswa Nath, Panchayat Inspector, BDO office, Sadar.
7. Sh. Madan Lal, Panchayat Secretary, GP Barmana.
8. Sh. Santosh Kumar, Er. RVNL.

First of all Chairman welcomed all members.

Chairman apprised all members that this meeting has been called for obtaining No Objection Certificate from Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of Railway line which will pass from village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperli.

First of all Chairman apprised about the National importance of Bhaupalli-Bilaspur-Berri, new Broad Gauge railway line and impacts of this linear project and clearance of land upto Badhyat, Bilaspur. Thereafter in brief explained the Forest Right Act, 2006.

Representative of RVNL apprised that No Objection Certificate is required from FRC for diversion of forest land in village Jungle Brans 0.91 hectare, Khater 2.41 hect., Barmana 1.21 hect. and Bhatar Uperli 0.30 hectare. Despite of best efforts and explaining about the rail project, FRCs of above villages have not issued the required NOC due to which work of national importance project is hampering.

Panchayat Inspector, Representative of Block Development Officer, Sadar apprised that Forest Right Committee of village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperli have not issued the No Objection Certificate required in respect of diversion of forest land in these 4 villages. He has further disclosed that since the constitution of Forest Rights Committee(s) in these villages no claims have been filed by individual or community over forest rights.

Chairman asked reasons from the members for non issuing of NOC, which are detailed below;

- 1) Whether any claims have been filed by any individual or community claiming rights over the forest land which were supposed to be filed within 3 months.
- 2) Whether any claims are pending for settlement before Forest Rights

3) Whether any petition is pending before Sub Divisional level Forest Rights Committee.

The members could not explain about above issues and only apprised that some local habitants are objecting for the issuance of NOC due to which NOC has not been issued. Chairman asked the members to submit detail, if any, claim or petition is pending as per provisions contained in the Act ibid but, neither they have explained about any pending claim, nor explained about any pending petition as well as any cogent reason for non issuance of NOC.

Chairman apprised that non issuing of NOC without any cogent reason by the Forest Rights Committee (s) of above 4 villages for such a National importance linear project which has significant impacts. In view of above, issue notice to the Forest Rights Committee(s) with a copy to Panchayat Pradhan/Panchayat Secretary for submitting any pending claims (individual or community) or petitions alongwith required evidence (if any) as per provisions of Act ibid, from the Forest Rights Committee(s)/local residents within 10 days i.e. by 14.03.2022.

---

  
Sub Divisional Officer (C)-cum-  
Chairman, Sub Divisional Forest  
Right Committee, Sadar, Bilaspur HP

Endst.NO. 1363-71

Dated: 04.03.2022.

Copy forwarded to:-

1. Deputy Commissioner, Bilaspur HP
2. Block Development Officer, Sadar, Bilaspur .
3. The Pradhan/ Panchayat Secretary, Gram Panchayat Barmana & Kuddi, Tehsil Sadar, District Bilaspur HP
4. Pradhan, Forest Right Committee village Jungle Brans (Kuddi), Khater, Barmana & Bhater Uperli, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur HP

---

  
Sub Divisional Officer (C)-cum-  
Chairman, Sub Divisional Forest  
Right Committee, Sadar, Bilaspur HP

*Mun*  
09-03-2022

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022- 2960  
Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

From Bilaspur Dated 16-04-2022.

To Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject- Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.91 ha.( Notional Area), proposed for the construction of Bhanupali-Bilapsur- Beri new railway line Project in Village Jangal Brans Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 29-03-2022 in which case for the diversion of forest land 0.91 ha.(Notional Area) for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Jangal Brans was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2961

Copy is forwarded to Joint General Manager/Project, RVNL, Chandigarh for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

Office of the Sub Divisional Officer (C )-cum- Chairman, Forest Right Committee, Sadar Sub Division, District Bilaspur HP

No. BLS.SDM.FRC.2022- 2183

Dated: 28/3/2022

ORDER:

Whereas, a meeting was held on 04.03.2022 regarding obtaining No Objection Certificate from Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of Railway line which will pass from village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperali.

Whereas, Reasons were asked from the FRC members for non issuance of NOC and the members could not explain any reason.

Whereas, Block Development Officer, Sadar and Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur vide letter No. 4155 dated 04.03.2022 and letter No. MCB/Forest Right Act /2021-1884 dated 13.08.2021 respectively have informed that neither claims on forest rights have been received by any of the Forest Right Committee's or Gram Sabhas nor are pending for recognition or decision.

Whereas, Notice was issued to all concerned as well as general public vide No. BLS.SDM.FRC.2022-1372-77 dated 04.03.2022 that claim or petition (if any) filed for recognition of forest rights are pending for disposal (individual or community), the same be informed in the office of Sub Divisional Officer (C )-cum-Chairman, Sub Divisional Level Forest Right Committee, Sadar Bilaspur within 10 days from the issue of this notice, failing which it will be assumed that no such claims exist and matter will be proceeded exparte.

Whereas, in response to above notice, nothing has been received from the concerned Forest Right Committee(s) *or from general public.*

Pradhan, Gram Panchayat, Barmana in reply to above notice has submitted reply/objections that the notice is not maintainable as demarcation of the land concerned/described in the notice has not been demarcated yet. Since the forest land and private land in village Bhatar Uperali, Barmana & Khater are adjacent, thus there is ample confusion regarding exact location of the forest land. There will be serious prejudice caused to the concerned families dependant upon forest land in the above mentioned villages.

Having gone through the contents of reply/objections above;

(a) It is clear that no claim has been filed before the Forest Rights Committee(s) nor any such claims are pending for disposal before Gram Sabha.

(b) No petition has been filed before Sub Divisional Forest Rights Committee by any person aggrieved by the resolution of Gram Sabha.

In view of above, above objections are not tenable and the observations are proposed to be placed before Sub Divisional Level Forest Rights Committee for appropriate decision in the matter.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

Endst. No. 2183

Dated: 28.03.2022

Copy forwarded to Member Secretary (Tehsildar, Sadar), S.D.L.F.R.C., Sadar, Bilaspur with the directions to submit the above matter before the Sub Divisional Forest Rights Committee in its next meeting for decision.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड बनाने हेतु खसरा न0 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं02183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

गाम समा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS-SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही विला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाइन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही विला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha, भराथू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022- 2962  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

From Bilaspur Dated 16-04-2022.

To Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject- Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 2.41 ha. proposed for the construction of Bhanupali-Bilapsur- Beri new railway line Project in Village Khated Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 29-03-2022 in which case for the diversion of forest land 2.41 ha. for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Khated was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2963  
Copy is forwarded to Joint General Manager/Project, RVNL, Chandigarh for information.

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

Office of the Sub Divisional Officer (C )-cum- Chairman, Forest Right Committee, Sadar Sub Division, District Bilaspur HP

No. BLS.SDM.FRC.2022- 2183 Dated: 28/3/2022

ORDER:

Whereas, a meeting was held on 04.03.2022 regarding obtaining No Objection Certificate from Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of Railway line which will pass from village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperali.

Whereas, Reasons were asked from the FRC members for non issuance of NOC and the members could not explain any reason.

Whereas, Block Development Officer, Sadar and Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur vide letter No. 4155 dated 04.03.2022 and letter No. MCB/Forest Right Act /2021-1884 dated 13.08.2021 respectively have informed that neither claims on forest rights have been received by any of the Forest Right Committee's or Gram Sabhas nor are pending for recognition or decision.

Whereas, Notice was issued to all concerned as well as general public vide No. BLS.SDM.FRC.2022-1372-77 dated 04.03.2022 that claim or petition (if any) filed for recognition of forest rights are pending for disposal (individual or community), the same be informed in the office of Sub Divisional Officer (C )-cum-Chairman, Sub Divisional Level Forest Right Committee, Sadar Bilaspur within 10 days from the issue of this notice, failing which it will be assumed that no such claims exist and matter will be proceeded exparte.

Whereas, in response to above notice, nothing has been received from the concerned Forest Right Committee(s) or from general public.

Pradhan, Gram Panchayat, Barmana in reply to above notice has submitted reply/objections that the notice is not maintainable as demarcation of the land concerned/described in the notice has not been demarcated yet. Since the forest land and private land in village Bhatar Uperali, Barmana & Khater are adjacent, thus there is ample confusion regarding exact location of the forest land. There will be serious prejudice caused to the concerned families dependant upon forest land in the above mentioned villages.

Having gone through the contents of reply/objections above;

- (a) It is clear that no claim has been filed before the Forest Rights Committee(s) nor any such claims are pending for disposal before Gram Sabha.

(b) No petition has been filed before Sub Divisional Forest Rights Committee by any person aggrieved by the resolution of Gram Sabha.

In view of above, above objections are not tenable and the observations are proposed to be placed before Sub Divisional Level Forest Rights Committee for appropriate decision in the matter.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

Endst. No. 2183

Dated: 28.03.2022

Copy forwarded to Member Secretary (Tehsildar, Sadar), S.D.L.F.R.C., Sadar, Bilaspur with the directions to submit the above matter before the Sub Divisional Forest Rights Committee in its next meeting for decision.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड बनाने हेतु खसरा न० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकबा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया । तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं० 2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकबा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकबा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकबा 1.21 (हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकबा 0.3 (हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हे अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

Dated:- 16/4/2022

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदरय सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-वैरी, न्यू वी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकबा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकबा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकबा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकबा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकबा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकबा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकबा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकबा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदरय सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SBK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated :- 16/4/2022.

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदरय, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2966

From

Bilaspur Dated 16-04-2022.

To

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject-

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 0.3 ha. proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project in Village Bhatar Uparli Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 29-03-2022 in which case for the diversion of forest land 0.3 ha. for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Bhatar Uparli was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2967

information.

Copy is forwarded to Joint General Manager/Project, RVNL, Chandigarh for

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

Office of the Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman, Forest Right Committee, Sadar Sub Division, District Bilaspur HP

No. BLS.SDM.FRC.2022- 2183 Dated: 38/3/2022

ORDER:

Whereas, a meeting was held on 04.03.2022 regarding obtaining No Objection Certificate from Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of Railway line which will pass from village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperali.

Whereas, Reasons were asked from the FRC members for non issuance of NOC and the members could not explain any reason.

Whereas, Block Development Officer, Sadar and Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur vide letter No. 4155 dated 04.03.2022 and letter No. MCB/Forest Right Act /2021-1884 dated 13.08.2021 respectively have informed that neither claims on forest rights have been received by any of the Forest Right Committee's or Gram Sabhas nor are pending for recognition or decision.

Whereas, Notice was issued to all concerned as well as general public vide No. BLS.SDM.FRC.2022-1372-77 dated 04.03.2022 that claim or petition (if any) filed for recognition of forest rights are pending for disposal (individual or community), the same be informed in the office of Sub Divisional Officer (C)-cum-Chairman, Sub Divisional Level Forest Right Committee, Sadar Bilaspur within 10 days from the issue of this notice, failing which it will be assumed that no such claims exist and matter will be proceeded exparte.

Whereas, in response to above notice, nothing has been received from the concerned Forest Right Committee(s) or from general public.

Pradhan, Gram Panchayat, Barmana in reply to above notice has submitted reply/objections that the notice is not maintainable as demarcation of the land concerned/described in the notice has not been demarcated yet. Since the forest land and private land in village Bhatar Uperali, Barmana & Khater are adjacent, thus there is ample confusion regarding exact location of the forest land. There will be serious prejudice caused to the concerned families dependant upon forest land in the above mentioned villages.

Having gone through the contents of reply/objections above:

(a) It is clear that no claim has been filed before the Forest Rights Committee(s) nor any such claims are pending for disposal before Gram Sabha.

(b) No petition has been filed before Sub Divisional Forest Rights Committee by any person aggrieved by the resolution of the Committee. ?hu  
am  
Sabha.

In view of above, above objections are not tenable and the observations are proposed to be placed before Sub Divisional Level Forest Rights Committee for appropriate decision in the matter.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

Endst. No. 2183

Dated: 28.03.2022

Copy forwarded to Member Secretary (Tehsildar, Sadar), S.D.L.F.R.C., Sadar, Bilaspur with the directions to submit the above matter before the Sub Divisional Forest Rights Committee in its next meeting for decision.

  
Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर जिला विलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर विलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा विलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला विलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र विलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, विलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0339/393 /391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई।

4. मौजा धौण कोठी से पाघा तक लिंक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदर के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पाघा तक लिंक रोड बनाने हेतु खसरा नं० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी के बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदर में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं० 2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21 (हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3 (हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे, लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकबा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकबा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकबा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकबा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकबा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकबा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकबा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकबा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच/वीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. सहायक गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Date: - 16/4/2022.

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

No.BLS-SDM-SDK-FRA-2022-  
Sub Divisional Officer (C )  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

2964

Bilaspur Dated 16-04-2022.

From

Sub Divisional Officer (C)  
Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.)

To

Deputy Commissioner-cum-Chairperson,  
District Level Committee  
District Bilaspur.HP.

Subject-

Proceeding of meeting of Sub Division Level Committee regarding FRA certificate for diversion of forest land 1.21 ha. proposed for the construction of Bhanupali-Bilaspur- Beri new railway line Project in Village Barmana Tehsil Sadar, District Bilaspur.

Sir,

The meeting of the Sub- Division level Committee of Bilaspur Sub-Division constituted under FRA, 2006 was conducted on dated 29-03-2022 in which case for the diversion of forest land 1.21 ha. for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri new railway line Project under FRA, 2006 dully processed and recommended by the FRC Forest right committee of Village Barmana was discussed and recommended for admission to District Level Committee.

The complete case is submitted for your further necessary action please.

Encls.AA

Yours faithfully,

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)  
Dated 16/04/2022.

Endst. No.AA-

2965

information.

Copy is forwarded to Joint General Manager/Project, RVNL, Chandigarh for

  
SDO(Civil)-cum-Chairman,  
Sub- Division Level Committee,  
Sub- Division Bilaspur(H.P)

Office of the Sub Divisional Officer (C)-cum- Chairman, Forest Right Committee, Sadar Sub Division, District Bilaspur HP

No. BLS.SDM.FRC.2022- 2183 Dated: 28/3/2022

ORDER:

Whereas, a meeting was held on 04.03.2022 regarding obtaining No Objection Certificate from Forest Right Committee for diversion of forest land for the construction of Railway line which will pass from village Jungle Brans, Khater, Barmana & Bhatar Uperali.

Whereas, Reasons were asked from the FRC members for non issuance of NOC and the members could not explain any reason.

Whereas, Block Development Officer, Sadar and Executive Officer, Municipal Council, Bilaspur vide letter No. 4155 dated 04.03.2022 and letter No. MCB/Forest Right Act /2021-1884 dated 13.08.2021 respectively have informed that neither claims on forest rights have been received by any of the Forest Right Committee's or Gram Sabhas nor are pending for recognition or decision.

Whereas, Notice was issued to all concerned as well as general public vide No. BLS.SDM.FRC.2022-1372-77 dated 04.03.2022 that claim or petition (if any) filed for recognition of forest rights are pending for disposal (individual or community), the same be informed in the office of Sub Divisional Officer (C)-cum-Chairman, Sub Divisional Level Forest Right Committee, Sadar Bilaspur within 10 days from the issue of this notice, failing which it will be assumed that no such claims exist and matter will be proceeded exparte.

Whereas, in response to above notice, nothing has been received from the concerned Forest Right Committee(s) or from general public.

Pradhan, Gram Panchayat, Barmana in reply to above notice has submitted reply/objections that the notice is not maintainable as demarcation of the land concerned/described in the notice has not been demarcated yet. Since the forest land and private land in village Bhatar Uperali, Barmana & Khater are adjacent, thus there is ample confusion regarding exact location of the forest land. There will be serious prejudice caused to the concerned families dependant upon forest land in the above mentioned villages.

Having gone through the contents of reply/objections above;

- (a) It is clear that no claim has been filed before the Forest Rights Committee(s) nor any such claims are pending for disposal before Gram Sabha.

(b) No petition has been filed before Sub Divisional Forest Rights Committee by any person aggrieved by the resolution of Gr Sabha.


In view of above, above objections are not tenable and the observations are proposed to be placed before Sub Divisional Level Forest Rights Committee for appropriate decision in the matter.

  
Sub Divisional Officer (C )-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

Endst. No. 2183

Dated: 28.03.2022

Copy forwarded to Member Secretary(Tehsildar, Sadar), S.D.L.F.R.C., Sadar, Bilaspur with the directions to submit the above matter before the Sub Divisional Forest Rights Committee in its next meeting for decision.

  
Sub Divisional Officer (C )-cum- Chairman,  
Forest Rights Committee, Sadar Sub  
Division, District Bilaspur HP

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीघा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0 339/393/391/5 रकवा तादादी 5-16 बीघा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा प्रदान की गई।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के सगक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिक रोड बनाने हेतु खरसा न0 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला बिलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल बिलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला बिलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं02183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली बिलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाइन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित व वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के सगक्ष कोई दावा दाखर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के सगक्ष निपटान के लिए लंबित है।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

Dated:- 16/4/2022

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated: - 16/4/2022.

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 29-03-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार के प्रस्ताव पेश हुए:-

**1. केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:-**

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे उप निदेशक, उच्च, शिक्षा बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय विद्यालय राजपुरा निर्माण हेतु खसरा न0 339 रकवा तादादी 2-13-73 हेक्टेयर मौजा राजपुरा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

**2. उद्योग विभाग के नाम Toy Manufacturing Cluster हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:**

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना बारे महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र बिलासपुर से प्राप्त हुआ है जोकि गांव पंजगाई के खसरा न0 1876/1751/1686/556 रकवा तादादी 41-02 बीधा (3.32 हेक्टेयर) चरान्द भूमि पर प्रस्तावित है। सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं सलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

**3. पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:**

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर से प्राप्त हुआ है उपरोक्त प्रस्ताव बारे पुलिस विभाग के जंकयार्ड हेतु खसरा न0339/393 /391/5 रकवा तादादी 5-16 बीधा (0.43 हेक्टेयर) वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पारित किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि पुलिस विभाग द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः

पुलिस विभाग को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

4. मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिंक रोड हेतु वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर, वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि प्रस्ताव सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला विलासपुर से प्राप्त हुआ है मौजा धौण कोठी से पांधा तक लिंक रोड बनाने हेतु खसरा न० 461/419/411/255/1 एवं 461/419/411/255/4 रकवा 00-20-25 वन अधिकार समिति द्वारा दिनांक 03-11-2021 को बैठक में मंजूरी बारे प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित नहीं किया गया। जिसे सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर पुनः सदन में प्रस्तुत किया। तथा वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बैठक दिनांक 29-03-2022 के उपरान्त दस्तावेजों की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी, जिला विलासपुर द्वारा जो दस्तावेज प्रेषित किये गये हैं उनमें बहुत सी खामियां हैं जिस बारे पुनः सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उपमण्डल बैरी को मूल रूप से प्रकरण वापिस भेजने की वन अधिकार समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।

5. जंगल ब्रांस, खतेड, बरमाणा व भटेड उपरली गांव में वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव उपमण्डलीय वन अधिकार समिति व तहसीलदार, सदर, उपमण्डल विलासपुर ने अध्यक्ष वन अधिकार समिति सदर जिला विलासपुर द्वारा भेजे गये आदेश सं०2183 दिनांक 28/03/2022 को बैठक में समस्त सदस्यों के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि जंगल ब्रांस किता 3 रकवा 0.91 (हेक्टेयर Notional Area), खतेड किता -25 रकवा 2.41 (हेक्टेयर), बरमाणा किता -5 रकवा 1.21(हेक्टेयर) व भटेड-उपरली किता 3 रकवा 0.3(हेक्टेयर) की वन अधिकार समितियों द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड को भानूपल्ली विलासपुर बैरी न्यू बी.जी. रेलवे लाईन निर्माण हेतु अनापति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है ।

इस सम्बन्ध में अध्यक्ष वन अधिकार समिति उपमण्डल सदर द्वारा उक्त समितियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायतों एवं आम जनता को दिनांक 05-03-2022 को नोटिस जारी किया गया था जिसके बारे आम जनता व सम्बन्धित व वन अधिकार समितियों से कोई भी दावा उजर/ आपति प्राप्त नहीं हुई है । लेकिन प्रधान, ग्राम पंचायत बरमाणा द्वारा आपतियां प्राप्त हुई हैं जिन्हे अवलोकन करने के उपरान्त यह पाया गया कि न तो वन अधिकार समिति के समक्ष कोई दावा दायर किया गया है और न ही ऐसा कोई दावा, ग्राम सभा के समक्ष निपटान के लिए लंबित है ।

ग्राम सभा के संकल्प से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा उपमण्डल वन अधिकार समिति के समक्ष कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है।

उपरोक्त आदेश के मददेनजर, नोटिस, उजर/आपति एवं उपरोक्त आदेश पर विस्तृत चर्चा उपरान्त दिनांक 28-03-2022 के आदेश का सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

BLS - SDK-FRA 2022/2994/3008

Dated:- 16/4/2022

प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष, बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।

आज दिनांक 08-04-2022 को वन अधिनियम 2006 उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, जिला बिलासपुर कमेटी की बैठक श्री सुभाष गौतम, उपमण्डलाधिकारी (ना0) सदर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में निम्न प्रकार का प्रस्ताव पेश हुआ-

बध्यात, नोग, बल्ही बिला, बल्ही झलेडा, भराथू, बैरी, जंगल-झलेडा एवं बधडी, गांव में वन अधिकार अधिनियम 2006 सम्बन्धी अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बारे:

सदस्य सचिव एवं तहसीलदार, सदर वन अधिकार समिति से सदन के समक्ष बताया कि उपरोक्त प्रस्ताव Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur से प्राप्त हुआ है जिसमें भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू बी.जी.रेलवे लाईन के निर्माण हेतु गांव बध्यात खसरा न0 136/1, 262/234/129/3/1, रकवा 0.08 (हेक्टेयर Notional Area), नोग किता -35 रकवा 3.39 ha.(2.16 open area + 1.23 notional area), बल्ही बिला किता -11 रकवा 0.59 ha.(0.5 open area + 0.09 notional area), बल्ही झलेडा किता -2, रकवा 0.01 ha. भराथू किता -6 रकवा 0.85 ha.(0.03 open area + 0.82 notional area), बैरी किता -3 रकवा 0.59 ha.(notional area), जंगल झलेडा किता-16 रकवा 1.31 ha.(notional area), बधडी, किता -6 रकवा 0.39 ha.(0.29 open area + 0.1 notional area) तहसील सदर, जिला बिलासपुर में चरान्द जंगल देहाती भूमि प्रस्तावित है, सदस्य सचिव एवं तहसीलदार सदर ने बताया कि उपरोक्त प्रस्तावना एवं संलग्न दस्तावेजों की छानबीन कर ली गई है जो कि पूर्ण पाये गए हैं। विस्तृत चर्चा उपरान्त उपमण्डलीय वन अधिकार समिति के सदस्यों द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में अनापति बारे प्रस्ताव जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित कर दिया जाये।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।  
Dated: - 16/4/2022.

BLS-SDK-FRA-2022-3009/3019  
प्रतिलिपि:-

1. उपायुक्त बिलासपुर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. खण्ड विकास अधिकारी, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. समस्त गैर सरकारी सदस्य, उपमण्डलीय वन अधिकार समिति, उप मण्डल सदर, जिला बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. Sr. Site Engineer(Civil), RVNL, Bilaspur को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप मण्डल अधिकारी (ना0)  
एवं अध्यक्ष वन अधिकार समिति,  
उपमण्डल सदर, जिला बिलासपुर।